

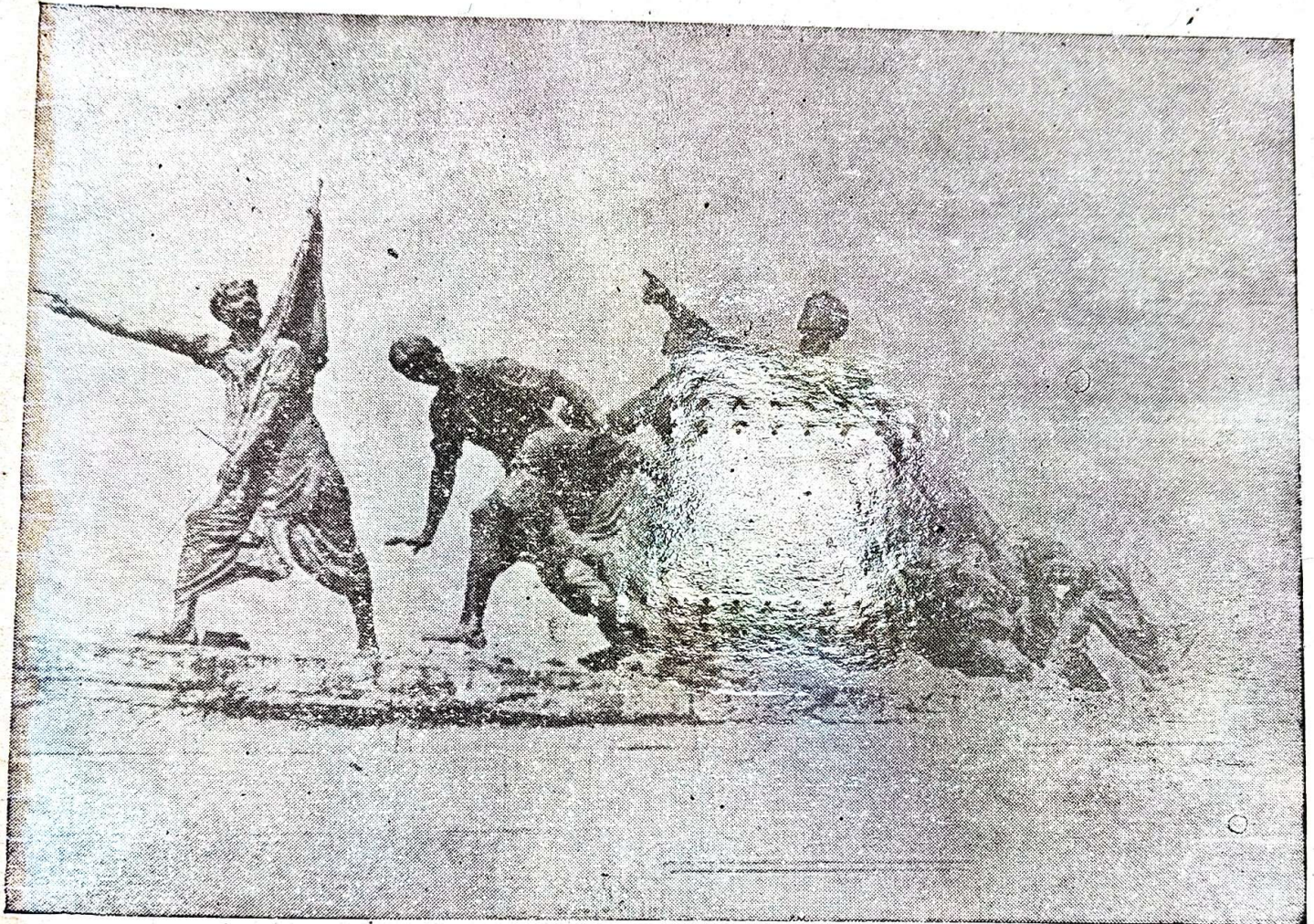


लोकसमिक्षा

चेतना

छठवाँ अंक

१४ सितम्बर, १९९४



शहीद स्मारक, बिहार, पटना

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II, बिहार, पटना
का कार्यालय

चेतना

अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका

(छठवाँ अंक)



लोकनगर्ह मन्विका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, बिहार, पटना
का कार्यालय

स्वात्वाधिकार महालेखाकार (ले० एवं ह०)-II बिहार, पटना

प्रकाशन : चेतना

अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका

प्रकाशक : महालेखाकार (ले० एवं ह०)-II, बिहार, पटना का कार्यालय, पटना-800001

अंक : छठवाँ अंक

14 सितम्बर, 1994

मूल्य : निःशुल्क

मुद्रक : बिहार राज्य शिक्षक सहयोग सघ लि० प्रेस,

एक्जीविशन रोड, पटना-800001

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

“मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती ।

भगवान् भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती ॥”

राष्ट्रकवि मथिलीशरण गुप्त (‘भारत-भारती’)

“सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?

उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष हैं ।”

—तत्रैव

धन्यं हि भारतवर्षम्, धन्या भारतसंस्कृतिः ।

भारतीया जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परम्परा ॥

संस्कृत सुबोधः (पृष्ठ-19)

—अर्थात् “भारतवर्ष धन्य है, भारत की संस्कृति

धन्य है, भारत के मनुष्य धन्य हैं और हमलोगों की

(हम भारतीयों की) परम्परा धन्य है ।”

चेतना परिवार

संरक्षक :

श्री टी० के० सान्याल
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II, बिहार, पटना

प्रकाशन परामर्शदातृ समिति :

श्रीमती माला सिन्हा
वरिष्ठ उप महालेखाकार, बिहार, पटना
श्री गिरीश चन्द्र लाल श्रीवास्तव
उप महालेखाकार, बिहार, पटना

श्री सुरेन्द्र प्रसाद
वरिष्ठ लेखा अधिकारी बिहार, पटना

सम्पादक मण्डल :

प्रधान संपादक : श्री सतीश चन्द्र सिन्हा
वरिष्ठलेखा अधिकारी, बिहार, पटना

संयुक्त संपादक : डॉ० जितेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी, हिन्दी कक्षा

महालेखाकार (ले० एवं ह०)—II बिहार, पटना का संदेश

मुझे यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस कार्यालय द्वारा “चेतना” पत्रिका के छाठवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। मैं इस अंक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई देता हूँ।

इस पत्रिका से अपेक्षा की जाती है कि यह अपने नाम के अनुरूप लेखा-कार्यों के क्षेत्र में अपनी चेतना फैलाकर राजभाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार का मार्ग प्रशस्त करेगी एवं सतत अपना योगदान देती रहेगी।

मैं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

टी० के० सान्याल
महालेखाकार (ले० एवं ह०) II,
बिहार, पटना।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE COMPTROLLER
AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

दिनांक 23 फरवरी, 1994

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) II,
बिहार, पटना ।

विषय :—इस कार्यालय को राजभाषा शील्ड प्राप्त होने की सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या-हिन्दी कक्ष/लेखा/ न. रा. का. स./93-94/66 दिनांक 11-2-94 का अवलोकन करें, इस सम्बन्ध में यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में आपके कार्यालय को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम पाया गया है । फलस्वरूप “चलशील्ड” प्राप्त हुई । इस पर आपके कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं ।

आशा है कि भविष्य में भी आपका कार्यालय इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा ।

10 बहादुरशाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

भवदीय

रघुनाथ प्रसाद

उप निदेशक (राजभाषा)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) जी० ई० एवं पेन्शन, बिहार, पटना
का

सन्देश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि "चेतना" का छठा अंक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। इस पत्रिका ने पाठकों का ध्यान राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति आकृष्ट किया है। इस अंक के रचनाकारों ने राजभाषा हिन्दी के उन्नयन के लिए अत्यधिक प्रयास किया है।

मैं पत्रिका के रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

माला सिन्हा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० एवं ह०)
जी० ई० एवं पेन्शन, बिहार, पटना

उप महालेखाकार (ले० एवं० ह०) प्रशासन एवं निधि, बिहार, पटना
का

सन्देश

पत्रिका का यह अंक हमारे कार्यालय के राजभाषा-उद्यान का छठा प्रस्फुटित सौरभ सुमन है। सहृदय एवं विज्ञ पाठक इसे ज्ञानवर्द्धक और मनोरंजक पाएँगे ऐसा मेरा विश्वास है।

यह पत्रिका हिन्दी के बहुमुखी विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रुझान बढ़ाया है।

मैं पत्रिका के रचनाकारों एवं सम्पादक-मण्डल को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

पत्रिका की दिनानुदिन प्रगति की कामना करता हूँ।

गिरीश चन्द्र लाल श्रीवास्तव

उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) प्रशासन
एवं निधि, बिहार, पटना

सम्पादकीय

कार्यालय द्वारा पत्रिका "चेतना" के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो पाएगी जब अधिक से अधिक कर्मचारी पाठक एवं लेखक के रूप में उभरें। इस दिशा में निरंतर प्रयास किया गया तथा उन सब लोगों को ढूँढ़ा गया जो लेखन में रुचि रखते हैं या लिख रहे हैं। यह हिन्दी साहित्यकारों की पत्रिका नहीं है बल्कि हिन्दी की ओर बढ़ते लोगों को प्रोत्साहित करने व हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही कार्यालयीय पत्रिका है।

राष्ट्रीय राजभाषा नीति का अनुपालन आज एक राष्ट्रीय तथा अहं विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। अतः हमारा उद्देश्य इस पत्रिका के माध्यम से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कार्यालयीय काम-काज में हिन्दी के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त करना, सभी को इसके लिए प्रेरित करना, इस दिशा में हिन्दी के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करना तथा अनुनय-विनय के द्वारा राजभाषा हिन्दी को जन-जन की भाषा का स्वरूप देते हुए राष्ट्रभाषा पद पर सम्मानपूर्वक आसीन कराना है। यहाँ स्मरण रखना होगा कि अन्य राष्ट्रीय भाषाओं का समन्वय परमावश्यक है। सारे भारत में बोली व लिखी जानेवाली भाषा का स्वरूप हिन्दुस्तानी अर्थात् सभी भाषाओं के सभी लोक प्रचलित शब्दों के मेल से बना, होना चाहिए। इसके लिए भी इस पत्रिका में प्रयास किया गया है। किन्तु साधन सीमित रहे हैं, फिर भी सभी स्तम्भों में छपी सामग्री में उत्तरोत्तर निखार और नवीनता का हमारा प्रयास है।

पत्रिका को आप तक पहुँचाने में जिन बन्धुओं ने अपनी रचनाएँ देकर प्रकाशन सम्भव किया है उन सभी के प्रति भी आभार प्रदर्शित करना हम अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं।

पत्रिका के माननीय मुख्य संरक्षक तथा प्रकाशन परामर्शदातृ समिति के सदस्यगण के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनकी सद्प्रेरणा से यह अंक आप तक पहुँचा है।

"चेतना" के सफल प्रकाशन का श्रेय इसके सहृदय पाठकों को भी जाता है। उनके पत्रों (जो सामान्यतः चेतना की प्रशंसा से भरे रहते हैं) से प्रोत्साहित होकर हम राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के सर्वांगीन विकास में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आशा है सहृदय एवं विज्ञ पाठक अपने बहुमूल्य सुझावों से हमारी पत्रिका में उत्तरोत्तर निखार लाने में सहायक सिद्ध होंगे।

सतीश चन्द्र सिन्हा

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विषय	रचना के प्रकार	रचयिता	पृष्ठ संख्या
1.	चेतना परिवार			3
2.	महालेखाकार का संदेश			4
3.	मुख्यालय द्वारा भेजा गया बधाई-पत्र			5
4.	वरिष्ठ उप महालेखाकार का संदेश			6
5.	उप महालेखाकार का संदेश			6
6.	सम्पादकीय			7
7.	अनुक्रमणिका			8
8.	आपके पत्र			9
9.	महँगाई			11
10.	उदारता और कट्टरता का चक्र	(कविता)	नरेन्द्र सिंह "नाहर"	13
11.	मैं जाता हूँ	(लेख)	एस० सी० सिन्हा	17
12.	आत्मा और परमात्मा के बीच	(कविता)	बालगंगाधर कान्त	18
13.	नारी और सामाजिक संरचना	(कविता)	चन्द्रिका सिंह	19
14.	चिन्ता यही है	(लेख)	के० के० अम्बष्ट	21
15.	आत्म समर्पण	(कविता)	चन्द्रिका सिंह	22
16.	अभयारण्य, पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान	(कविता)	शिव कुमार गुप्ता	23
17.	आदम खोरों की बस्ती	(लेख)	डॉ० जितेन्द्र कुमार	28
18.	भ्रष्टाचार और निवारक सावधानियाँ	(कविता)	जगन्नाथ प्रसाद मेहता	29
19.	ऋतु	(लेख)	एम० एन० हक	33
20.	बेचारा प्रतिबंधित लेखक	(कविता)	अशोक कुमार केशरी	34
21.	सद्बुद्धि जागरण एवं विविध आधार	(लेख)	पियुष ओझा	36
22.	चन्द मुक्तक	(लेख)	संजय कुमार	38
23.	गायत्री मंत्र	(कविता)	गिरिजा नन्दन	40
24.	भविष्य भारत का	(लेख)	इन्द्रदेव सिंह	42
25.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 के वार्षिक कार्यक्रम से उद्धृत अंश	(लेख)	दयानन्द प्रसाद	45

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से महालेखाकार कार्यालय का सहमत होना आवश्यक नहीं है। ये उनके (रचनाकारों के) निजी विचार हैं। साथ ही रचना की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं जिम्मेवार हैं।

प्रधान सम्पादक

आपके पत्र

“चेतना” का पंचम अंक सधन्यवाद हस्तगत हुआ। पत्रिका की साज-सज्जा व विषय सामग्री श्रेष्ठ एवं उच्च कोटि की है। पत्रिका में सम्पादित सभी लेख ज्ञान वर्द्धक एवं रोचक हैं। कविताएँ सरस एवं काव्यकला से परिपूर्ण हैं। हमें आशा है राजभाषा के प्रचार-प्रसार में तल्लीन यह पत्रिका अपने मूल उद्देश्य में अवश्य सफल होगी। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

हरियाणा चण्डीगढ़,
3-3-93

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (प्र.)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा
चण्डीगढ़

“चेतना” का पंचम अंक मिला। पत्रिका अपने नाम को सार्थक करती हुई समसामायिक चेतना से परिपूर्ण है। श्री सतीश चन्द्र सिन्हा का लेख “धर्म निरपेक्षता—सिद्धान्त एवं व्यवहार” धर्म निरपेक्षता के विभिन्न पक्षों की उजागर करता है। श्रीमती कृष्णा दास का लेख “पर्यावरण समस्या और समाधान” प्रदूषण की समस्या को तर्कसम्मत ढंग से रेखांकित करता है। संकलित कविताएँ भी अपने कथ्य में महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर स्तरीय सामग्री का संयोजन-सम्पादन किया गया है, जिसमें स्पष्ट आभास मिलता है कि “चेतना” राजभाषा हिन्दी के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभायेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ स्वीकार करें।

इलाहाबाद,
4-3-94

वरिष्ठ लेखाधिकारी/हिन्दी अनुभाग
प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) प्रथम
उ. प्र., इलाहाबाद का कार्यालय

“चेतना” के पंचम अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद।

पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाएँ, लेख, कहानी, निबंध आदि काफी अच्छे एवं स्तरीय हैं। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ।

ग्वालियर,
5-3-93

श्रीमती सरोज शर्मा,
लेखा अधिकारी/हिन्दी कक्ष
महालेखाकार (लेखा एवं ह०) प्रथम, म०प्र०
ग्वालियर का कार्यालय

“चेतना” का पंचम अंक प्राप्त हुआ, तद् हेतु अनेक धन्यवाद।

पत्रिका में संकलित समस्त रचनाएँ उत्तम, ज्ञानवर्द्धक तथा रोचक हैं। विशेषकर “हास्य” तथा “स्वर्ग दो पल का” रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। चेतना के सम्पादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

नागपुर
10-3-93

एस० डी० मिश्रा
लेखा परीक्षा अधिकारी
महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) II, महाराष्ट्र
नागपुर का कार्यालय

“चेतना” का पंचम अंक सहर्ष प्राप्त हुआ। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं का स्तर नित नये आयाम प्राप्त कर रहा है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ बोधगम्य और सारगर्भित हैं। श्री जाकिर हुसैन का लेख “देश भक्ति” प्रेरणास्पद है। श्री उमेश्वर प्रसाद सिंह की कविता “गीतिका” हृदयस्पर्शी है और हमें यह सँचने समझने के लिए विवश करती है कि शरीर नश्वर है इसलिए उसे हमेशा मुस्कराते रहना चाहिए। श्री गुप्ता प्रसाद मधुकर की कहानी “स्वर्ग दो पल का” शीर्षक को पूर्ण चरितार्थ करती है। श्रीमती कृष्णा दास का लेख “पर्यावरण-समस्या और समाधान” पठनीय है। पत्रिका में राजभाषा नीति सम्बन्धी कार्यक्रम को संकलित कर कर्मचारियों को उसकी जानकारी देने के लिए सम्पादक मण्डल का प्रयास स्तुत्य है। श्री सतीश चन्द्र सिन्हा का लेख “धर्म निरपेक्षता सिद्धान्त एवं व्यवहार” बहुत ही विचारोत्तेजक है। आशा है कि भविष्य में “चेतना” पत्रिका अपने आंचल में अपेक्षित उपयोगी सामग्री लेकर हिन्दी के प्रति रुचि जगाने में सहायक सिद्ध होगी तथा बुलन्दियों की नई पराकृष्टा को स्पर्श करेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए लेखा परीक्षा पंजाब परिवार की शुभकामनायें स्वीकार कर अनुगृहीत करें।

चण्डीगढ़ (पंजाब)
8-4-93

इन्द्रपाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
(हिन्दी कक्ष)

“चेतना” के नवीनतम अंक की प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद।

कार्यालय में हिन्दी के उपयोग में गति लाने की दृष्टि से आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका उपयोगी सिद्ध होगी। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में पत्रिका की साज-सज्जा एवं संकलन सामग्री में नए-नए आयाम जुड़ेंगे।

सद्भावनाओं सहित,

बम्बई,
1-4-1993

कृष्ण ना० मेहता
उप निदेशक (कार्यान्वयन),
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन
कार्यालय (पश्चिम)
तीसरी मंजिल, कॉमर्स हाउस,
करीम भाई रोड, बेलार्ड एस्टेट,
बम्बई-400038

हिन्दी पत्रिका “चेतना” के पंचम अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका में दी गई सामग्री मधुर एवं एवं ज्ञानवर्द्धक है। राजभाषा हिन्दी के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएँ।

बम्बई,
2-3-1993

ओ० पी० श्रीवास्तव,
लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन
महालेखाकार का कार्यालय (वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा)
महाराष्ट्र, 101 महर्षि कार्वे मार्ग,
बम्बई-400020

महँगाई

नरेन्द्र सिंह "नाहर"

वरिष्ठ लेखाकार

महँगाई अर्थात् मूल्यबुद्धि,
लुट गई हमारी समृद्धि ।
आज राम-रहीम की न होती चर्चा,
हर जगह जुबान पर है खर्चा ।

आज तेल का भाव चढ़ा है,
तो कल चीनी का दाम बढ़ा है ।
कभी चावल-दाल का भाव आसमान पर,
तो कभी उच्च स्वर में बोलता गैस-सिलिन्डर ।

फैशन की चीज तो छोड़ दीजिए,
कमर मजबूत है तो दो-चार ले लीजिए ।
वरना, जहाँ चूहे दण्ड पेल रहे हों,
मानव मुसीबते झेल रहे हों,
वहाँ जान बचा पाना भी आफत है ।

महँगाई प्रियदर्शिनी भले न हो,
पर समदर्शिनी जरूर है ।
इसने किसी को न छोड़ा ।
चाहे वह इंजीनियर हो या कांट्रैक्टर,
डाक्टर हो या वकील,
मरीज हो या मुवक्किल,
आफिसर हो या प्रोफेसर,
सेवक हो या अनुसेवक,
सदाचारी हो या दुराचारी,
ब्रह्मचारी हो या कर्मचारी,
इसने सभी को तोड़ा, मरोड़ा ।

यह पिशाचिनो है, व्यभिचारिणी हैं,
इसने हमें जलील किया है,
मानव-मूल्यों को लील लिया है ।
हम रोते रहे, हम बिलखते रहे,
इसने हमसे सबकुछ छीन लिया है ।

आखिर महँगाई का कारण क्या है ?
 आबादी में लगातार वृद्धि
 या विकास दर में कमी ।
 कारखाने में मौके-बेमौके हड़ताल
 या लूट-खसोट, दलाल ।
 घूसखोरी, जमाखोरी या मुनाफाखोरी,
 कदाचार, अनाचार या प्रशासन में
 अजगर की तरह बैठा भ्रष्टाचार ।

आज मुद्रा-आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है,
 इसलिए चीजों का दाम चढ़ गया है ।
 महँगाई अभिशाप है,
 हमो आप का पाप है ।

अगर हम-आप प्रबुद्ध हो जाएँ,
 सदाचार में प्रवृत्त हो जाएँ,
 कमर कसकर उद्यत हो जाएँ,
 तो महँगाई पलक मारते छूमन्तर हो जाए ।



तत्रैव

सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में,
 शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में ।
 शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है,
 शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा-मात्र है ॥

—राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ('भविष्यत् खण्ड' पृ०/174)

उदारता और कट्टरता का चक्र

एस० सी० सिन्हा

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

आज की भोगवादी सभ्यता में संकीर्णता इतनी बढ़ गई है कि परिवार, समाज, देश-विदेश सर्वत्र कलह और संघर्ष बढ़ गये हैं। संकीर्ण, सीमित और संकुचित दृष्टि के चलते मानवीय गरिमा समाप्त होती जा रही है। सर्वत्र तनाव की स्थिति है क्योंकि हमारी संवेदना के सारे श्रोत लगभग सूख चुके हैं। विभिन्न भाषायी, साम्प्रदायिक, आंचलिक तथा अन्य समुदाय अपनी-अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

निराशा के ये घने बादल अवश्य ही छुटेंगे। हमारे देश भारत के पास अति प्राचीन काल से ही एक ऐसी आचार-संहिता है जो मानव को दानव की श्रेणी से उपर उठाकर देवत्व के पास पहुँचाती है और उसे श्रेष्ठकर जीवन मूल्यों से सम्पर्क कराती है। यह जीवन मूल्य है धर्म। यह धर्म ही मानव में निहित असीम शक्ति-क्षमता को प्रकट कर उसे पशुत्व से उपर उठाता है। यही धर्म, नैतिकता-आदर्श की वह नींव है जिसपर समाज टिका रहता है। धर्म एक चेतना है, कर्मकांड नहीं। धर्म सत्य का रूप है, हठवाद, कट्टरवाद या अन्ध-विश्वास नहीं। श्री अरविन्द के अनुसार धर्म एक चेतना है, शाश्वत आध्यात्मिकता तत्व है। उन्होंने कहा है कि धर्म का अर्थ नैतिकता अथवा दूसरे शब्दों में “आध्यात्मिकता” है। ऐसी आध्यात्मिकता मानवमात्र का कल्याण चाहती है। धर्म वह है जो धारण करता है। जैसे आग का धर्म जलाना, पानी का धर्म गीला करना है वैसे ही आदमी का धर्म उसका सहज स्वभाव है जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता।

समाज के परिप्रेक्ष्य में जब सोचा जाय तो धर्म एक संस्था के रूप में आंका जाता है। सभी संस्थाओं की तरह यह संस्था भी अपने सदस्यों को सुरक्षाएँ और सुविधाएँ देती है और बदले में सदस्य उसे अपनी निष्ठा देते हैं। अन्य संस्थाओं की तरह धर्म की संस्था भी सदस्यों पर अपना अनुशासन लादती है। इस संस्था की पहली शर्त किसी सर्वशक्तिमान की खोज एवं प्रतिष्ठा है। इस सर्वशक्तिमान को ही विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे ईश्वर, अल्लाह, पीर, गुरु, मसीहा जिसके होने का विश्वास ही काफी होता है, अस्तित्व है या नहीं वह हमेशा शोध का विषय रहता है। यहीं से दौर प्रारम्भ होता है धार्मिक उदारता का तथा धार्मिक कट्टरता का।

समाज का उत्थान और पतन इसी उदारता तथा कट्टरता से जुड़ा रहता है। कट्टरता के दौर में समाज में जड़ता आती है और उदारता के दौर में समाज की अन्तर्निहित शक्तियाँ प्रस्फुटित होती हैं तथा वह निःसंदेह उन्नति करता है। यह भी ध्यान रखना है कि विभिन्न भाषायी, आंचलिक तथा अन्य समुदाय अपनी-अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जब ये समुदाय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असुरक्षा का अनुभव करने लगते हैं, तब वे पृथक्तावादी शक्तियों में परिणत होकर मुख्य धारा के प्रति शत्रुता का भाव विकसित करने लगते हैं। लियोनार्ड व्लूम ने अपनी पुस्तक “सोशल साइकोलॉजी ऑफ रेस रिलेसन्स” में लिखा है कि इस परिणाम स्वरूप इस सामुदायिक चेतना में पाँच लक्षण दीख पड़ते हैं—

1. दीर्घकालिक समाधानों के स्थान पर यह तुरन्त लाभ में रूचि लेने लगती है।

2. यह अपने विरोधियों के मत सहन नहीं कर सकती।

3. यह अपने समूह के सदस्यों पर कठोर अनुशासन लाद देती है।

4. यह किसी परिवर्तन या नये प्रभाव को पसन्द नहीं करती।

5. इसकी दृष्टि में जगत् अव्यवस्थित प्रतीत होता है। अतः यह अपनी सामूहिक एक रूपता में ही अपनी पहचान देख पाती है और इस कारण अपना सामूहिक या सांप्रदायिक दृष्टिकोण छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रकार समाज कई समूहों में बँट जाता है और संख्या के आधार पर ये अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक कहे जाने लगते हैं।

जब अल्पसंख्यक समूह सजाज में किसी प्रकार की असमानता का सामना करते हैं, तो वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं और फलतः आक्रामक होकर अपनी सामुदायिक पहचान पर बल देते हैं। उपरी तौर पर वे अपने लोगों की सम्पत्ति या भूमि के लिए लड़ते से प्रतीत होते हैं, परन्तु वस्तुतः वे अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं।

दूसरी तरफ एक बहुसंख्यक समाज जब अनुभव करता है कि इसके प्रभाव या प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है, तो वह अस्थिर हो उठता है। यह चुनौती विभिन्न रूपों में प्रकट होकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकती है। उदाहरणार्थ यह चुनौती बहुसंख्यक समुदाय की संख्या को लेकर हो सकती है जैसा कि मीनाक्षीपुरम में हरिजनों के धर्मान्तरण को लेकर तमिलनाडू के हिन्दुओं में तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त हुई। बहुधा ऐसा पाया गया है कि बहुसंख्यक समुदाय एकात्मकता पर जोर देता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय बलपूर्वक विविधता से चिपके रहना चाहता है।

धर्म को भी इस दुष्प्रचार में कुछ पहचानों पर अत्यधिक बल देकर अपने पक्ष में घसीटने का हर सम्भव प्रयास ऐसे समूह करते हैं जिसे अभी के वातावरण में साम्प्रदायिकता कहा जाता है। साम्प्रदायिक विचारधारा के दो पक्ष हैं—पहला है, अन्य समुदायों के विरुद्ध भय की मनोविकृति फैलाना और दूसरा है, अपनी अतीत महिमा पर बल देना। अपनी सामुदायिक चेतना को सबल बनाने के लिए वह एक “जातीय मिथक” गढ़ता है। व्यापक रूप से फैली सामाजिक असमानता तथा अन्याय से यद्यपि सभी समुदाय पीड़ित होते हैं, परन्तु साम्प्रदायिक समुदाय अपने स्वार्थसाधन के लिए इसका उपयोग करते हैं। वे इस समस्या को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं मानों केवल उन्हीं के लोग इनसे प्रभावित हों। इस प्रकार विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितियों का वे अपने पक्ष में लाभ उठाते हैं और अपने लोगों के मन में भय तथा असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर उन्हें संगठित करने में इसका उपयोग करते हैं। इस स्थिति में ही कट्टरता उभरती है और सारी उदार भावनाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है। कट्टरता का उभरना किसी समाज की जड़ता की ओर बढ़ने का लक्षण है। यह कट्टरता असुरक्षा की भावना से पैदा होती है अर्थात् यह भय जन्य प्रवृत्ति है। इसके विपरीत असुरक्षा की भावना न होने पर समाज में उदारता की प्रवृत्ति आती है। विश्व के सभी धर्मों के समाज कट्टरता और उदारता के दौर से गुजरे हैं और इन सभी समाजों का स्वर्णकाल उदारता का काल ही रहा है।

हिन्दू कट्टरतावाद हमेशा ही अपना विचित्र स्थान रखता प्रतीत होता है। यहाँ दोनों कट्टरवाद तथा उदारवाद हमेशा ही जातिव्यवस्था के साथ जुड़े रहे हैं। कट्टरवाद की प्रवृत्ति जाति-व्यवस्था को मजबूत करने और उदारवाद का दौर उसे तोड़ने का रहा है। वेद-उपनिषद कालीन समाज उदार था क्योंकि उसमें निचले स्तर में पैदा हुआ व्यक्ति भी महान ऋषि का दर्जा पाता था। उदाहरण की कमी नहीं है कि उस काल के अधिकांश ऋषि अधम स्थितियों में पैदा हुए थे। आगे चलकर स्मृति-पुराणकालीन समाज में जाति व्यवस्था को मजबूत करने की प्रवृत्ति प्रबल हुई और आगे चलकर तो हिन्दू समाज इस जाति व्यवस्था को और मजबूत करता गया। कृष्ण भक्ति ने वर्ण-व्यवस्था पर सीधी चोट तो नहीं की, किन्तु समाज की अनेक रुढ़ियों को तोड़ने का काम अवश्य किया। उदाहरण के लिए मीराबाई ने स्त्री-जीवन पर लगी लगभग सभी पाबंदियों को तोड़ा और अभी के संदर्भ में मीरा स्त्री मुक्ति आन्दोलन की दृष्टि से सबसे बड़ी क्रान्तिकारी महिला दिखाई पड़ती है। स्मरणीय है कि उत्तर भारत में कबीर, नानक, रैदास आदि संतों ने जातिपात के खिलाफ चेतना पैदा की, महाराष्ट्र में वाखरी सम्प्रदाय के संतों ने और दक्षिण में शैवों ने यह काम किया। ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामी काल में हिन्दू समाज और मुसलमान समाज दोनों को आत्म-निरीक्षण का अवसर मिला। दोनों को उदार बनना पड़ा क्योंकि एक दूसरे के करीब आना था। स्वामी दयानन्द का आर्य समाज आन्दोलन तथा सर सैयद अहमद का आन्दोलन इस कार्य को प्रखर करता रहा। लेकिन यह दौर फिर कट्टरवाद की तरफ मुड़ने लगा। गाँधी के नेतृत्व में इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की गई मगर कट्टरवाद ने अपनी प्रबलता दिखाकर देश विभाजन तक करा ही दिया जिसे इस आशा से मान लिया गया कि शायद इससे साम्प्रदायिकता की समस्या से निजात मिल जायेगी।

इस्लाम में भी कट्टरता और उदारता का द्वंद्व देखा जा सकता है। प्रारम्भ में इस्लाम की धारा उदार रही होगी क्योंकि अरब देशों में उसका किसी बड़े संगठित धर्म से टकराव नहीं हुआ। फिर ईरान और दक्षिण-पूर्व एशिया में इस्लाम भारी बहुमत में हो गया क्योंकि उसे असुरक्षा का भय नहीं रहा। इस स्थिति में उसमें इतनी उदारता आयी कि ईरान में इस्लाम-पूर्व के इतिहास नायकों रूस्तम और सोहराव को अपना इतिहास पुरुष मान लिया गया और फारसी के नमाज, खुदा आदि शब्दों को भी अपना लिया। लेकिन यह उदारता इस्लाम भारत में नहीं दिखलायी गई क्योंकि उसका सम्पर्क प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से हुआ। इसने राजनैतिक जीत तो हासिल की किन्तु सांस्कृतिक प्रक्रिया से यह हमेशा तंगदस्ती अनुभव करता रहा। अलवेरूनी जैसे मुस्लिम इतिहासकार और दारा शिकोह जैसे दार्शनिक भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के कायल रहे और अकबर ने तो इस्लाम का भारतीयकरण करने का प्रयास भी किया। अकबर के साम्राज्य को बड़ी चुनौती नहीं मिली तो वह उदारता की ओर बढ़ा। औरंगजेब के साम्राज्य को चारों ओर से खतरा पैदा हुआ तो वह कट्टरवाद की ओर झुका। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस्लाम भारत को एक छोटे से आशंका ही इस्लामीकरण कर सका और एक अल्प संख्यक धर्म के रूप में ही रहा। असुरक्षा भाव से घिरा होने से उदारतावाद का मार्ग इसने बहुत समय तक नहीं अपनाया। अभी स्थिति बदली है।

ईसाई धर्म को शुरू में भयानक असुरक्षा का वातावरण मिला। उनके धर्म-संस्थापक ईसामसीह को रोम के एक सामंत ने सलीब पर चढ़ाया था किन्तु बाद में वहाँ के राजा ने इसे अपनाया और तब सुरक्षा की भावना पनपी जिससे इसका प्रसार तेजी से हुआ। फिर रोमन कैथलिक धारा को प्रोटेस्टेंट आन्दोलन से असुरक्षा का बोध हुआ तो वह कट्टरता की ओर बढ़ा। लम्बे संघर्ष के बाद जब ईसाई कामन वेल्थ के ये दोनों सम्प्रदाय झक गये तो वेस्टफालिया की संधि में यूरोप में उदारता का दौर शुरू हुआ तथा लोकतंत्र एवं धर्म निरपेक्ष राज्य

के विचार वहाँ सुदृढ़ हुए। उधर ग्रीव अर्थोडक्स चर्च को तुर्की साम्राज्य के आतंक में रहना पड़ा इसलिए उसमें कट्टरता की प्रवृत्ति इतनी प्रबल हुई कि उसके प्रभाव वाले देश भूतपूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप का हिस्सा लोकतंत्र जैसी उदार व्यवस्था को कभी नहीं अपना सके।

बौद्ध धर्म भी इस दौर से गुजरा है। बुद्ध ने जाति प्रथा के विचार को रद्द नहीं किया। उन्होंने इसे केवल एक नया रूप दिया। "अग्गज्जसुत" में वह जाति प्रथा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन करते हैं और इसके स्थान पर उसे विकासवादी प्रक्रिया से जोड़ते हैं। वैदिक कट्टरता के कारण यह धर्म बड़ी तेजी से फैला मगर बाद में इसी वैदिक समाज की उदारता ने बौद्ध व्यापकता को अपने में समाहित कर लिया। जैन आन्दोलन भी सदा उदारता का पक्षधर रहा और शायद इसकी जड़ें अन्य धर्मों की कट्टरता का लाभ उठाकर सदा जमीं ही रहें।

इस देश में जो सामाजिक विषमता या शोषण है, वह यहाँ के सामाजिक परिवेश का दोष है, न कि धार्मिक मान्यताओं का। हिन्दू धर्म के जो आधार धर्मग्रन्थ गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, भागवत आदि हैं, उनके मूल प्रसंगों में सर्वत्र समता एवं समदृष्टि के सिद्धान्त का उदघोष किया गया है। सनातन धर्म के सर्व प्रमुख धर्मग्रन्थ "गीता" में भगवान श्रीकृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की है कि "चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः" यानि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है, जन्म के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। भारत के पास अति प्राचीन काल से ही आचार संहिता है, जो मानव को दानव से उपर श्रेष्ठकर जीवन-मूल्यों से सम्पर्क कराती है। हमारा लक्ष्य सद्भाव और सौमनस्य की स्थापना करना है। मनुष्य को एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाना है। भारतीय संस्कृति एक सुसंगठित समन्वित इकाई है, जो कुछ भी छोड़ता नहीं, बल्कि सब कुछ अंगीकार करता है। लोक-तत्वों, वैदिक-द्रविड़-आस्ट्रिक-मंगोलाइड सांस्कृतिक विशेषताओं, मुसलमानों और ईसाइयों सबने हमारी भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। इसका अनुभव किये बिना भारतीयता का अर्थ नहीं समझा जा सकता।

आइए अब हम धार्मिक एकता की बात लें। स्वामी विवेकानन्द ने ऐसे पाँच तत्व बताए, जिनके आधार पर विभिन्न धर्म एक दूसरे के निकट आ सकते हैं तथा उदारवाद पनप सकता है। (1) परम सत्य एक है, परन्तु यह विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है। (2) पवित्रता और निःस्वार्थता ही धार्मिक जीवन के आधार हैं। (3) अन्य धर्मों के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण का पोषण किया जाय। (4) धर्म में चिन्तन तथा अभिव्यक्ति की स्वाधीनता हो। (5) लक्ष्य है बाह्य तथा अन्तःप्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के ब्राह्मभाव को अभिव्यक्त करना..... मुक्त हो जाना। यही धर्म का सर्वस्व है। मतवाद, अनुष्ठान-पद्धति, शास्त्र, मन्दिर अथवा अन्य वाध्य क्रियाएँ तो गौण व्यौरा मात्र हैं। यदि सभी धर्म इन सिद्धान्तों पर एकमत हो जायें, तो फिर एक राष्ट्र का बहुधर्मी स्वरूप कोई समस्या की सृष्टि नहीं करेगा। यहाँ तक कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को भी इन सिद्धान्तों पर कोई आपत्ति न होगी। इस प्रकार हम धर्मनिरपेक्षता के विवाद से मुक्त हो सकते हैं।

स्वामी विवेकानन्द के "व्यावहारिक वेदान्त" का सन्देश उजागर करना होगा। भारतवासियों के हृदय में एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को दृढ़मूल कर देना होगा। हमें संसार को यह दिखाना होगा कि भौतिक समृद्धि तथा आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ा जाय ताकि सभी लोग एक सन्तुलित जीवन बिता सकें। आज आवश्यक है कि भारत को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए "जातियों के.....रक्त तथा विचारों का सम्मिश्रण किया जाय। इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या है, इन विविध तत्वों का बिना उनका विशिष्ट व्यक्तित्व नष्ट किये हुए समन्वय करना--उन्हें एक सूत्र में बाँध देना। कट्टरता का त्याग करना और उदारता का अनुसरण करना तभी इस देश का ही नहीं अपितु समस्त विश्व का कल्याण है।

मैं जाता हूँ

बाल गंगाधर कान्त

वरिष्ठ लेखाकार

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मैं अक्सर

किया करता हूँ

ऐसी प्रार्थनाएँ,

मगर कब

करता हूँ

अमल इनपर ?

हकीकत है यह,

कि मैं

अंधेरे में बैठा,

उजाले को

सराहा तो करता हूँ

मगर उजाले

की ओर बढ़ते

अपने कदम को

रोक लिया

करता हूँ ।

क्योंकि

मैं डरता हूँ.....

उजाले में

कहीं कोई,

मुझे पढ़ न ले ।



आत्मा और परमात्मा के बीच

● चन्द्रिका सिंह, लेखकार

छोड़ सखी अब जाने दे री,
पिया मिलन की घड़ियाँ री,
लाख रोक तू राहे मेरी
रुक न सकेगी चिड़ियाँ री
छोड़ सखी.....

जिस प्रियतम के लिए विकल थी,
अमन थी हर पल चंचल थी
आज इसी प्रियतम ने छेड़ी
अपनी मधुर बँसरियारी ।
छोड़, सखी.....

अब कैसे मैं रुक सकूँ यहाँ पर,
बली सखी मैं आज पिया घर
तुम सब भी खुश रहो सखी री,
ओढ़े लाल चुनरियारी
छोड़ सखी.....—.....

आयेगी तेरी भी बारी,
जायेगी पीघर मतवारी
आयेंगे पी ले जायेंगे
थामे तेरी अंगुरियारी

छोड़ सखी अब जाने दे री
पिया मिलन की घड़ियाँ री ।



नारी और सामाजिक संरचना

के० के० अम्बहट्ट

सहायक लेखा अधिकारी

यह मान्यता पूर्णतः भ्रामक है कि स्त्रियाँ सामाजिक जीवन में पुरुषों के बराबर सफलता प्राप्त करने में अक्षम हैं। पुरुषों और महिलाओं में शारीरिक संरचना एवं क्रियाविधि सम्बन्धी कुछ अन्तर तो अवश्य हो सकता है किन्तु मानसिक प्रखरता तथा बौद्धिक तेजस्विता के क्षेत्र में वे न केवल समान हैं अपितु एक कदम आगे भी हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि ज्ञान, विद्वता, शौर्य और सेवा के क्षेत्रों में से कई में जिन्हें केवल पुरुषों के वश में समझा जाता रहा है, उनमें महिलाओं ने पुरुषों से भी अधिक सफलता प्राप्त की। इतना होने के बाद भी सामाजिक नव निर्माण के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका के प्रश्न को विवादास्पद माना जाता रहा है। अभी भी स्थिति अनिर्णीत ही है। ऐसा मत है कि फ्लोरेन्स नाइटिंगेल, जोन आफ आर्क का सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व सिर्फ इसलिए सफल रहा क्योंकि उनके देश की सामाजिक संरचना इसके अनुकूल थी। जबकि भारत की सामाजिक स्थिति पर्याप्त भिन्न है। यहाँ पर पश्चिमी उदाहरणों को प्रामाणिक नहीं ठहराया जा सकता। प्राचीनकाल में जब स्त्रियों को समान स्तर प्राप्त था उस समय घोषा, गोधा, अदिति, जुहू, सरमा, रोमशा, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री, अनुसूया आदि कई विदुषियाँ थीं जो ज्ञान तत्त्वविद्या के साथ बल और शौर्य में पुरुषों से सानी रखती थीं।

कुछ अंशों में बात सही भी है, प्रत्येक देश की अपनी सामाजिक स्थिति होती है तथा अनेक बातों में स्वाभाविक भिन्नता भी होती है। ऐसी दशा में जो प्रक्रिया एक स्थान पर सम्भव है दूसरे स्थान पर असम्भव भी हो सकती है। किन्तु अपने देश में सामाजिक नवगठन के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान मात्र पश्चिम का अंधानुकरण भर नहीं है अपितु मुद्गर अतीत से इसकी अपनी गौरवमयी परम्परा रही है। यही कारण है कि प्राचीन नीतिकारों ने राज सिंहासन का आधा भाग महारानी के लिए अनिवार्य घोषित किया था। उसे राजा के बराबर न्याय और प्रशासन का अधिकार भी मिला हुआ था।

प्राचीन काल में ही नहीं बल्कि मध्य में भी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई आदि कई महिलाएँ हुई हैं जिन्होंने पुरुषों के कार्य क्षेत्र में घुसकर उन्हें पीछे छोड़ दिया था। ऐसा कहा जा सकता है कि तब परिस्थितियाँ कुछ और थीं। अब विगत दिनों की अन्धकार वेला ने महिलाओं की शक्ति को कुंठित कर दिया है। किन्तु यह बात भी पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत होती है। स्वतंत्रता संग्राम में जन चेतना जागृत करने में कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, भीकाजी काम अवंतिका वाई गोखले आदि अनेक महिलाओं ने जो कार्य किए उसे किसी भी रूप में पुरुषों द्वारा चलाए गये अभियानों से कम नहीं कहा जा सकता है। ये तो हैं विशिष्ट महिलाओं की बात, इसके साथ ही साधारण स्त्रियों ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन के उन मोर्चों को फलतः किया जिन्हें पुरुषों ने अपने वश से बाहर का जान कर

छोड़ दिया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जब आह्वान किया गया तो मत्याग्रह का एक बड़ा रूप सामने आया "पिकेटिंग"। पिकेटिंग में उन दुकानों पर, जिन पर कि विदेशी वस्तुएँ बेची जाती थीं, धरना दिया जाता था। पुरुषों को प्रथमतः इस कार्य में सफलता नहीं मिली तब महिलाएँ आगे आई और उन लोगों ने इस कार्य में ऐसी दृढ़ता दिखाई कि विदेशी सामानों वाली दुकानों को बन्द करना पड़ा।

भारतीय राष्ट्रीयता स्वीकार करनेवाली एनीबेसेन्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं। यही पद बाद में सरोजिनी-नायडू ने सुशोभित किया। श्रीमती नायडू एवं श्रीमती हीराटाटा ने महिलाओं के मताधिकार का प्रश्न लेकर आन्दोलन भी चलाया। श्रीमती शचीरानी गुर्ग के अनुसार श्रीमती सरोजिनी नायडू सफल कवयित्री, पटु राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, सजग कार्यकर्त्री और साथ-साथ सफल गृहिणी भी थीं। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह सिंह गर्जना की थी कि देश व समाज के नवसृजन काल में कार्यरता सबसे अक्षम्य अपराध और निराशा सबसे बड़ा भयानक पाप है।

स्वतंत्रता आन्दोलन का संचालन करने वाली वीर-गनाओं में श्रीमती भीकाजी काव्या, मृदुला साराभाई, लक्ष्मी मेनन, अरुणा आसफअली, दुर्गा भाई देशमुख, कमला नेहरू, मणिबेन पटेल, सुशीला नैयर, पद्मजा नायडू, अनुसुइया बाई काले आदि नामों की लम्बी सूची है जो भारतीय समाज में महिलाओं के गौरव को प्रकट करती हैं। भारत के प्रधान मंत्री के रूप में स्व० इन्दिरा गाँधी का निर्भीक नेतृत्व भारतीय महिलाओं के लिए ही नहीं बरन् समस्त देश के लिए शीर्ष उदाहरण रहा है।

यह आरोप स्वतः ही आधारहीन हो जाता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में उन्नीस ठहरती हैं। सच्चाई तो यह है कि कई मामलों में इक्कीस भी सिद्ध होती हैं। अभी के प्रसंग में चाहे वह क्षेत्र राजनीति, कला, प्रशासन, समाज सेवा, कृषि, तकनीकी, संगीत आदि जो भी हो उसमें भारतीय महिलाओं का योगदान पुरुषों की तुलना में कहीं भी द्वितीय नहीं है। यदि आज कुछ क्षेत्रों में वे पुरुषों से पिछड़ी दशा में हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि उनमें कोई कमी है। अभी के युग में महिलाओं ने अपने पराक्रम को विस्तृत कर रखा है। महिलाएँ अवला नहीं हैं। आचार्य बिनोवा भावे ने बहुत सटीक व्याख्या कर दी है कि अवला शब्द बहुत वाद का है। उसके पूर्व हमारे यहाँ महिला शब्द व्यवहृत होता रहा है जिसका अर्थ है—महानशक्तिशाली। वस्तुतः महिला अवला नहीं अपितु महान शक्तिशाली है और समाज के नेतृत्व को अपनी प्रखर बुद्धि के सहारे संभाल सकती है। शायद यही कारण रहा है कि महापुरुषों, अवतारों तथा देवताओं के नामों के पूर्व देवियों के नाम उच्चारण किए जाते हैं तथा लिखे जाते हैं यथा सीताराम, राधाकृष्ण, गौरीशंकर, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। शक्ति के रूप में दुर्गा, काली, शीतला एवं सरस्वती का नाम भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ हैं। जिसका महामंत्र है—
“या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।”

कहा जाता है कि समय की हवा में तिनका भी तूफान बन जाता है। आज वही समय है, ऐसे में शक्ति स्वरूपा नारी प्रचण्ड शक्ति बनकर उभर सके तो कोई आश्चर्य नहीं। श्री अरविन्द ने इक्कीसवीं सदी को स्पष्ट शब्दों में मदर्स सेन्चुरी अथवा “मातृशती” कहा है। उनका आगे कहना है कि इस शताब्दी में शासन सुव्यवस्था की जिम्मेवारी नारी के हाथ में होगी। पुरुष उसका सहायक भर होगा। एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस देश, समाज, सम्पत्ति पर नारी का शासन होता है वह समृद्ध रहती है। उनके अनुसार कालचक्र पूर्ण वेग से गतिमान है। भवितव्यता नारियों पर अपने अनुदानों की वर्षा करने पर उत्तारू है।

ऐसे में उन्हें विचारों और दृष्टिकोण के विस्तार एवं भावनात्मक परिष्कार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना होगा ताकि वे आगामी दिनों में सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था को संभालकर समाज का नेतृत्व कर सकें।

अंततः पुरुष-स्त्री सम्बन्ध सहजता और सहभागिता पर आधारित होते हैं। यदि पुरुष स्त्री को महत्व न दे तो अपनी ही क्षति करता है। वह छोटा समाज होता है जो लड़की को उपेक्षणीय मानता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता है। अभी जो कन्या भ्रूण हत्या की दौर प्रारम्भ हुई है वह सृष्टि अथवा प्रकृति, जो भी आप कहें, उसके महाविनास का प्रथम सोपान है। यह महापाप छिपाए नहीं छिपता अपितु मस्तक पर सवार होकर अपना प्रतिशोध ले ही लेता है। धर्म परक समाज में कन्यादान से मुक्ति पायी जाती थी। लोग दूसरे की कन्या का दान किया करते थे। कन्या और उसके पति को वंदनीय माना जाता था। स्त्री को अवला या विपन्न मानने से काम नहीं चलता। समाज और सृष्टि दोनों ही उनके बिना नहीं चल सकते।



चिन्ता यही है

● चन्द्रिका सिंह, लेखाकार

सोना था पीछे सोते अभी हो,
जबकि सोना सोना नहीं है।

लुटाना था पीछे लुटाते अभी हो,
जबकी तुम्हारा कमाया नहीं है,
पहले कमाओ पीछे लुटाओ,
तुम्हारे जैसा सयाना नहीं है ॥

जलाना था पीछे, जलाते अभी हो,
जब की जलाना बिलकुल सही है।
चिता पै जलता तो चिन्ता न होती,
जिन्दा हूँ जलता, चिन्ता यही है।



आत्म-समर्पण

रचयिता—शिव कुमार गुप्ता

अपराधियों का,
आत्म समर्पण में,
यह आत्म उदगार है,
हे नेता ! तु ही असली सरदार है ।

ताला : हमारी अकल पर पड़ गया ताला
सजीबों से भरी इस दुनियाँ में
हम निर्जीवों के भरोसे ही रह पाते हैं
चाहे वह पूजा की मूर्ति हो या ताला ।

फिल्म : तुम्हारी रंगीन दुनियाँ देखने में,
हम अपनी दुनियाँ बदरंग करते हैं
तू तो रोशनी में जीती है जागती है,
हम तो अंबेरा खरीदकर, भटकते हैं

प्रेमिका : प्रेमिका । पत्नी की काव्यात्मक कल्पना
पत्नी । प्रेमिका का गद्यात्मक यथार्थ ।

परीक्षा : परीक्षा ।
व्यर्थ है, करनी कोई समीक्षा
रह गई है अब
मात्र विद्यार्थियों की
इच्छा



कर्म है अपना जीवन-प्राण
कर्म में बसते हैं भगवान
कर्म हैं मातृ-भूमि का मान
कर्म पर आवों हों बलिदान ।

—माखनलाल चतुर्वेदी (बलिदान)

“अभयारण्य, पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान”

लेखक—डा० जीतेन्द्र कुमार, एम० ए० [द्वय], पी-एच०डी०
अनुभाग अधिकारी, हिन्दी कक्ष,
महालेखाकार (ले० एवं ह०) II, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई प्रिय रुचि (Hobby) रहती है। किसी को क्रिकेट में अभिरुचि रहती है तो किसी को फुटबॉल में, किसी को कुश्ती का शौक है तो किसी को “कबड्डी” का, किसी को टी० बी० का शौक है तो किसी को टेपरेकार्डर का, किसी को शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी है तो किसी को सुगम संगीत में, कोई नृत्य में अभिरुचि रखता है तो कोई नाटक में, कोई सोने में अभिरुचि लेता है तो कोई देशाटन में। हर का अपना-अपना शौक है। बहुत से लोग वन-विहार में दिलचस्पी लेते हैं।

महाभारत की कथा राजा शांतनु के वन-विहार से ही आरम्भ होती है। राजा शिकार खेलते-खेलते नदी के किनारे एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के मोह-पाश में फँसकर उससे विवाह कर बैठते हैं। शकुन्तला एवं दुष्यन्त के जीवन का भी बहुत अंश वन-विहार में व्यतीत होता है। भरत का बचपन वन के सिंह-शावक के साथ व्यतीत होता है। त्रेता युग में भगवान राम ने जंगल में 14 वर्ष व्यतीत किए और उन्होंने पशु-पक्षियों के अगाध प्रेम में बँधकर रावण जैसे अहंकारी एवं पराक्रमी का विनाश किया। द्वापर युग में भगवान् श्रीकृष्ण का बाल्य-काल वन-विहार में व्यतीत हुआ। उनकी वन-क्रीड़ा, गौ चराना एवं वन में बाँसुरी की तान विश्वविख्यात है। कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध के ज्ञान के पीछे भी वन-विहार का बहुत कुछ हाथ है। महात्मा ईसा का जीवन वन में बीता और वन-विहार के द्वारा उन्हें अनेक प्रकार के ज्ञान मिले। कहा जाता है कि मुहम्मद साहब भी वन-विहार के शौकीन थे और जंगल में बकरियाँ चराया करते थे जो भगवान् कृष्ण के गौ चराने के समकक्ष हैं।

बहुत ऐसे लोग हैं जो वन-विहार में पशु-पक्षियों का आखेट करते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। इससे पशु-पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। निरीह पशु-पक्षी मारे जा रहे हैं। सरकार ने उनकी रक्षा लिए सैंक्चुअरी (Sanctuary) बनायी है जिसे हिन्दी में “अभयवन” या “अभयारण्य” या “पशु विहार” होते हैं। जिस अरण्य या वन में पशुओं को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण रूप प्रबंध किया जाए उसे “अभयवन” या “अभयारण्य” या “पशु विहार” कहते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने “पक्षी-विहार” बनाए हैं। वृक्षों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से “राष्ट्रीय उद्यान” (National Park) भी बनाए गए हैं।

भारत के प्रमुख “अभयवन” (“अभयारण्यः”) “पक्षी विहार” एवं “राष्ट्रीय उद्यान” निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं० अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान

प्रदेश

प्राप्य वन्य जीव

1.	पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, इदुक्की	केरल	हाथी, तेंदुआ, चीता, भालू, सांभर
2.	चन्द्रप्रभा अभयारण्य, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	चीता, नीलगाय, तेंदुआ, भालू
3.	कावेरि राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल	उत्तर प्रदेश	चीता, नीलगाय, हाथी, चीतल
4.	बोरी अभयारण्य, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	चीता, चीतल, सांभर, सुअर, भैंसा
5.	पंचमढी वन्य जीव अभयारण्य, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन, जंगली भैंसा
6.	रपाथम्पौर वन्य जीव अभयारण्य व टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर	राजस्थान	बाघ, शेर, लकड़वग्घा, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, चीता, तेंदुआ
7.	केवला देव धना पक्षी विहार भरतपुर	राजस्थान	चीतल, मुर्गावी, हरियल, साइबेरियन सारस, सांभर
8.	बान्दीपुर राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक	हिरण, सांभर, चीतल, चीता, तेंदुआ, हाथी
9.	बोरोविली राष्ट्रीय उद्यान, बम्बई	महाराष्ट्र	तेंदुआ, लंगुर, हिरण, जंगली, सुअर सां
10.	भीमबांध अभयारण्य, मुंगेर	बिहार	तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, चीता, सां
11.	गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, गया	बिहार	बघेरा, सांभर, हिरण, चीतल, चीता, तेंदु
12.	पलामू वन्य जीव अभयारण्य, डालटेनगंज	बिहार	बघेरा, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, हिरण
3.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जोरहाट	असम	एक सींगवाला दरियाई घोड़ा, भैंसा, सुअर चीता
4.	मालापट्टी पक्षी विहार, नेल्लोर	आंध्रप्रदेश	फाल्ता, हरियल, जलकाक, बतख, मुग
5.	रोहला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	भूरा भालू, तेंदुआ, कस्तूरी-हिरण
6.	शिकरी देवी वन्य जीव, अभयारण्य मंडी	हिमाचल प्रदेश	कस्तूरी मृग, काला भालू, लोमड़ी, तेंदुआ, बघेरा
7.	सिमिलीपाल वन्य अभयारण्य, मयूरगंज	उड़ीसा	चीता, हाथी, चीतल, हिरण, सांभर, बघेरा, गौर
8.	वेदांतगल पक्षी विहार, चिन्गलुर	तमिलनाडू	अनेक जंगली पक्षी
9.	रंगाथिदू पक्षी विहार, मैसूर	कर्नाटक	हरियल, कबूतर, चकोर, सारस, मुग
10.	गीर राष्ट्रीय उद्यान, जूनागढ़	गुजरात	तेंदुआ, सांभर, एशियाई शेर
11.	वल्वाडर राष्ट्रीय उद्यान, भावनगर	गुजरात	काला हिरण, भेड़िया ।

22.	खगचंदर्जेदा राष्ट्रीय उद्यान, गंगटोक	सिक्किम	जंगली गधा, पहाड़ी भालू, हिरण, बघेरा, लाल पांडा
23.	वचिगाम अभयारण्य, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	काला भालू, लाल भालू, तेंदुआ, हिरण एवं हंगुल
24.	सुन्दरवन टाइगर रिजर्व, चौबीस परगना	पश्चिम बंगाल	चीता, बाघ, मगर, जंगली सूअर, हिरण
25.	जलदापारा वन्य जीव अभयारण्य, जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	चीता, तेंदुआ, हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली सूअर, सांभर
26.	इन्टांकी वन्य जीव अभयारण्य, कोहिमा	नागालैण्ड	चीता, तेंदुआ, हाथी, गौर, सूअर, पक्षी, साँप, हिरण

नीचे कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यानों, वनों एवं अभयवनों (अभयारण्यों) की संक्षिप्त चर्चा की जाती है :—

उड़ीसा के मयूरगंज में हाथी बहुत मिलते हैं। “वेतसा” (उड़ीसा) के अभयवन में हाथी और तेंदुआ बहुत अधिक संख्या में हैं। भरतपुर (राजस्थान) के “धना पक्षी विहार” में दुनिया के विभिन्न देशों से सभी प्रकार के पक्षी स्वतः आते हैं, निवास करते हैं एवं अनुकूल समय के समाप्त होने पर वापस लौट जाते हैं।

आसाम के सिल्वर से ऐजल (मिजोरम) के मध्य के जंगल में अजगर, बारहसिंघा एवं वनैला सूअर अधिक पाए जाते हैं। यहाँ के जंगल में “जंगली केले” बहुत होते हैं जिनमें केवल बीज होते हैं किन्तु गुदे नहीं होते। इन जंगली केले को झुंड के झुंड हाथी आकर खाते रहते हैं। आसाम के “मानस वन्य जीव अभयारण्य” (Manas Wild Life Sanctuary) ने शेर, जंगली हाथी, जंगली भैंसे एवं सोने के रंग के (Golden) लंगूर भरे हैं।

शिमला (नहान) के पास के जंगलों में भालू बहुत मिलते हैं। ये भालू महुआ और दीमक बहुत पसन्द करते हैं। भालू के चमड़े (खाल) को तोचकर यदि पानी से भिगोकर रख दिया जाए या लटका दिया जाए तो वहाँ पर से उसकी गंध से दीमक भाग जाते हैं।

कश्मीर के जंगल में सर्प बहुत हैं। यहाँ जड़ी-बूटी का बड़ा-सा पार्क है जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कर्नल आर० एल० चोपड़ा की देखरेख में बनवाया था। इस पार्क को पार्क ऑफ मेडिसिनल प्लांट (Park of Medicinal Plant) कहते हैं।

मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्प, सूअर (वनैला), छोटे-छोटे तेंदुआ एवं लकड़बग्घा पाए जाते हैं। “मुरैना” के जंगल डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दस्यु सम्राट सुन्दर सिंह निवास करते थे। वे बाघों एवं बकरियों को एक साथ लड़ाया करते थे। “मुरैना” के जंगल में बाघ पाए जाते हैं। वहाँ नाग जाति के सर्प बहुत हैं। जंगली भैंसा भी बहुत हैं। छत्तीसगढ़, रायपुर के जंगल में तेंदुआ मिलते हैं।

गुजरात मरुभूमि का प्रदेश है। यहाँ विषधर सर्प और ऊँट बहुत मिलते हैं। “कपूरथला” के पास “प्यूना” सर्प मिलते हैं। इस सर्प की विशेषता यह है कि यह सर्प काटता नहीं है। यह सोए हुए व्यक्ति के

पास जाता है। सोया हुआ व्यक्ति जब श्वास लेता है तब यह सर्प श्वास छोड़ता है और जब सोया हुआ व्यक्ति श्वास छोड़ता है तब यह सर्प श्वास लेता है। इस प्रकार की क्रिया चलते रहने के कुछ घंटे बाद सोया हुआ व्यक्ति सदा के लिए सोया ही रह जाता है। कपूरथला की मरुभूमि में काँटेदार पौधे जैसे "कीकर" (कुकुर) पौधे मिलते हैं जिसे ऊँट बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की मरुभूमि में चूहे एवं खरगोश भी बहुत पाए जाते हैं।

मिदनापुर (प० बंगाल) में बहुत से तालाब हैं जहाँ पर मछलियों का बाहुल्य है।

लद्दाख के पहाड़ी इलाके वाले जंगलों में 'याक' बहुत पाए जाते हैं, भेड़ और बड़े बाल वाले कुत्ते भी मिलते हैं जो बहुत शिकारी भी होते हैं।

राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग में बाघ, हरिण एवं भालू तथा नेतरहाट के जंगल में भालू एवं तेंदुआ मिलते हैं। राँची के निकट "गौतमधारा" के निकट तेंदुआ एवं लकड़बग्घा पाए जाते हैं। "जोन्हा जल-प्रपात" के पास संध्या में पानी पीने के लिए बाघ आदि भी आ जाया करते हैं। कोडरमा घाटी में "दिवौर" जंगल में तेंदुआ, जहरीले सर्प (नाग) एवं वनैले सूअर पाए जाते हैं। राजगृह के जंगल में जहरीले सर्प एवं जड़ी-बूटी पाए जाते हैं।

बिहार से सटे नेपाल की तराई में भालू, बड़े बाल वाले कुत्ते एवं वनैले सूअर पाए जाते हैं।

सुलतानपुर पक्षी विहार (Sultanpur Bird Sanctuary), गुरगाँव एवं फारुखनगर से 46 किलोमीटर है। यहाँ सौ से भी अधिक जातियों के पक्षी यूरोप एवं साइबेरिया से उड़कर आते हैं।

हमारे लिए वनों की अत्यधिक उपयोगिता है। हवा, पानी, खाद्य सामग्री और मनुष्य जीवन के अनेक साधन वन-सम्पदा पर ही निर्भर है। पर्यावरण की उपयोगिता के लिए वनों का अत्यधिक महत्व है। उद्योग के लिए लकड़ियाँ, जलावन की लकड़ियाँ, कागज की लुग्दी, लाख, गोंद, राल, फल, तेल, रबर इत्यादि वनों से प्राप्त होने वाली मुख्य वस्तुएँ हैं। वनों के पशुओं से भी अनेक लाभ हैं। इनसे मांस, खाल, एवं चमड़ा, सींग, हड्डी, ऊन, प्राप्त होते हैं। पशुओं की हड्डियों से बटन बनाए जाते हैं। मरुस्थलों में ऊँट, मैदानों में बैल तथा जंगलों में हाथी बोझा ढोने के काम में आते हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झण्डा या राष्ट्रीय फूल की तरह पशु और पक्षी को भी राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। हमारे राष्ट्र में शेर को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है।

आज वनों में निर्भीक होकर कुछ व्यक्ति या शिकारी वन के पशु-पक्षियों की हत्या कर रहे हैं। वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए ऐसा करते हैं। सरकार को चाहिए कि वन के पशु-पक्षियों की इस प्रकार की निर्मम हत्या पर कड़ाई से रोक लगाए। इस प्रकार के जघन्य पाप को रोकना सरकार का पुनीत कर्तव्य है। मनुष्यों शिकारियों को भी इन पशु-पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। **S. P. C. A. (Society for the Prevention of Cruelty to Animals)** संस्था को सक्रिय बनाया जाना चाहिए। बाल्मीकि जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी एक व्याधा के वाण से कौंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिए जाने की खबर से व्यथित हो गए और सहसा उनके मुखारविन्द से यह उद्गार निकल पड़ा :—

“मां निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।

यत् कौञ्चमिथुनादेकमवधीः कामकोहितम् ॥”

अर्थात्—“हे निषाद ! तुमने काम से मोहित इस कौञ्च पक्षी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करो ।” वाल्मीकि के अन्तस्तल से निकले इस श्लोक के बाद ही उन्हें वाल्मीकि रामायण लिखने की प्रेरणा मिली । जब वाल्मीकि जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति का हृदय करुणा से द्रवित हो सकता है तो निरपराध एवं अबोध पशु-पक्षियों की हत्या करते समय आज के शिकारियों का हृदय न मालूम क्यों नहीं द्रवित होता ? हिंसक जंतुओं के प्रति भी यदि करुणा दर्शायी जाए और विपत्ति में यदि उन्हें मदद दी जाए तो वे इसे कभी भी नहीं भूलते । “ऐन्ड्रोक्ल एण्ड दिये लायन” इसका ज्वलन्त उदाहरण है । मर्षि कण्व ऋषि द्वारा पालिता (पाली गई) शकुन्तला जब तक मृगछौने को खाना-पीना नहीं कराती थी तबतक वह स्वयं भी नहीं खाती-पीती थी । यही कारण है कि जब शकुन्तला समुराल जाने लगी तो मृगछौने ने उसके आँचल को दाँतों से पकड़ लिया मानो वह कह रहा हो “मुझे छोड़कर तुम मत जाओ” कितनी आत्मीयता है, करुणा है शकुन्तला के प्रति इस अबोध मृगछौने की । अतः मेरी हार्दिक इच्छा है कि विश्व के समस्त पशु-पक्षियों के प्रति आत्मीयता दर्शाई जाए । यही मेरी कामना एवं अन्तर्भाव है ।



* हिन्दी एक अत्यन्त शक्तिशाली भाषा है ।

—डॉ० कामिल बुल्के

* कोई भी देश अपनी भाषा, संस्कृति की उपेक्षा करके उन्नति नहीं कर सकता ।

—कुशोक बकुल

* हिन्दी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुँचा जा सकता ।

—डॉ० लोथर (जर्मनी)

* भारतीय जनतंत्र का सैद्धान्तिक पक्ष बिना हिन्दी के अपूर्ण है ।

—सेठ गोविन्द दास

* हिन्दी प्रचार का कार्य देशभक्ति का कार्य है ।

—गंगाशरण सिंह

* हिन्दी प्रेम की भाषा है ।

—श्रीमती महादेवी वर्मा

* हिन्दी भारत की अमरवाणी है, यह स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरिमा है ।

—माखन लाल चतुर्वेदी

आदम खोरों की बस्ती

● जगन्नाथ प्रसाद मेहता
पर्यवेक्षक
लेखा परीक्षा, पटना

कदम कदम पर मौत खड़ी है ।
यहाँ जिन्दगी सस्ती है
इन्सानों की यह नगरी
आदम खोरों की बस्ती है ।
स्वार्थ यहाँ पर "धर्म" बन गया,
भ्रष्टाचार बना "दर्शन" ।
झूठ कपट के बन्दी गृह में,
मानवता करती क्रन्दन ।
इन्सानी चेहरों में छुपी—
हुयी, शैतानी हस्ती है ।
इन्सानों की यह नगरी,
आदम खोरों की बस्ती है ।
कभी कभी क्या रोज रोज ही,
होते यही तमाशे हैं ।
कल भाई बन गले मिले थे,
आज खून के प्यासे हैं ।
अरे यहाँ फूलों की माला—
भी, नागिन बन डँसती है ।
इन्सानों की यह नगरी,
आदम खोरों की बस्ती है ।
भोलपन की कब्रगाह पर,
नित्य-धूर्तता, इठलाये ।

मूल्य लुटे हैं नैतिकता के,
छल का झंडा लहराये ।
तन के उजले मन के काले,
लोगों की मस्ती है ।
इन्सानों की यह नगरी,
आदम खोरों की बस्ती है ।
कैसे हैं ये लोग, जो आतंकों—
की, फसल उगाते हैं ।
आस्तीन में नाग पालकर,
उसको दूध पिलाते हैं ।
छाये हैं बारूदी वादल,
हर दिन मौत बरसती है ।
इन्सानों की यह नगरी,
आदम खोरों की बस्ती है ।
झूठे भाषण आश्वासन के,
तीर विषैले चलते हैं ।
विषहर्त्ताओं के घर में ही,
भीषण विषधर पलते हैं ।
सदाचार बीमार यहाँ,
ईमान की हालत खस्ती है ।
इन्सानों की यह नगरी,
आदम खोरों की बस्ती है ।



भ्रष्टाचार और निवारक सावधानियाँ

एम० एन० हक

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिहार

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भ्रष्टाचार के भी कदम चलायमान हुए थे। अब तो भ्रष्टाचार की व्यापकता न केवल राष्ट्रीय बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य है। यह केवल इस युग में ही नहीं बल्कि हर युग में रहा है। दूसरे शब्दों में, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना आदम और हव्वा की कहानी। जब-जब इन्सान जीवन के बहुमूल्य तथ्यों से दूर हुआ और भौतिकवाद की ओर बढ़ा, भ्रष्टाचार उतनी ही तेजी के साथ बढ़ा और आज उसका एक भयानक रूप हमारे सामने है। जीवन का कोई ऐसा पहलू बाकी नहीं है जो इस रोग से प्रभावित नहीं हुआ है। यह एक कटु सच्चाई है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि बच्चे की जीभ पर मधु के बून्द रखकर उसका स्वाद न लेने के लिए जोर देना जितना कठिन है उतना ही मुलाजिमों के हाथ पर रिश्वत के राशि को न लेने से रोकना है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि इसे जीवन की एक अंश मानते हुए स्वीकार कर लिया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी वर्ग को इसके बारे में अधिक से अधिक अवगत कराया जाय और चारों ओर से इस भ्रष्टाचार नामी राक्षस पर आक्रमण किया जाय ताकि समाज से भ्रष्टाचार प्रसार को कम किया जा सके।

शब्दकोष में भ्रष्ट का मतलब है सड़ा, चरित्रहीन, दुष्ट, घूसघोर। इस प्रकार भ्रष्टाचार का मतलब हुआ सड़ा हुआ, नैतिकहीन, भ्रष्ट आचरण का।

भ्रष्टाचार की जड़ें समाज के ऐसे वातावरण में जन्म लेती और फलती-फूलती है जहाँ शक्ति, धन और प्रतिष्ठा को जल्द से जल्द बिना मेहनत और बिना पैसा खर्च किये हुए प्राप्त करने की लालसा होती है। ऐसे समाज में लोगों के मन में न तो जीवन के नैतिक मूल्यों की परवाह होती है और न भले और बुरे की तमीज ही बाकी रहती है जिसके कारण जीवन के बहुमूल्य तथ्य तथा आदर्श तहस-नहस हो जाते हैं।

इस प्रकार भ्रष्टाचार के कारण हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं जिन्हें व्यक्ति, समाज, राजनीति, व्यवसाय, हर जगह देखा जा सकता है। इसकी तलाश के लिए प्रयास की विशेष आवश्यकता नहीं है। कुछ व्यक्ति भ्रष्टाचार के शिकार इसलिए नहीं होते हैं कि उन्हें वैसा सुरक्षित कार्यक्षेत्र प्राप्त नहीं होता है या वह किसी प्रकार का खतरा लेना नहीं चाहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि आसानी से अवसर प्राप्त हो तो अधिकतर व्यक्ति इस रोग के शिकार हो जायेंगे। लेकिन इस विचार को न तो समर्थन देने की और साथ ही न निराश होने की आवश्यकता है। यदि हम प्रशासनिक चौकसी बरतें तो हम इसकी जड़ें प्रारम्भ में ही काट सकते हैं और इसे बहुत हद तक फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए यदि एक ओर मजबूत और ठोस निवारक सामाजिक और राजनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर संगठनों, परियोजनाओं, इकाइयों और सरकारी कार्यालयों में निवारक प्रशासनिक चौकसी बरतने की भी आवश्यकता है। इस दिशा में

बहुत सारे निम्नलिखित उपयोगी कदम उठाये जा सकते हैं जिसके द्वारा बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सकता है।

1. जब कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई शिकायती मामला आये जिसमें या तो बिना कारण कार्य को रोके रखा गया था या उसमें बिना मतलब की आपत्ति लगाकर लौटा दिया गया था और उसके निष्पादन में जान-बूझ कर विलम्ब किया गया था तो यदि प्रशासनिक अधिकारी चौकसी बरतें और उसकी छानबीन गहराई से करें तो मामले की तह तक वह आसानी से पहुँच सकते हैं और कर्मचारी को नीयत का साफ पता चल सकता है। इस प्रकार की चौकसी बरतने से भ्रष्टाचार को रोकने में काफी सहायता मिलेगी और इससे दूसरे भी सतर्कता बरतेंगे।

2. इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि निष्कपट शिकायत करने वाले को वह पूरी-पूरी संरक्षणता प्रदान करें और इस बात पर नजर रखें कि ऐसे व्यक्ति को उसके मामले के निष्पादन में किसी भी हालत में नीचे के स्तर के लोग तंग नहीं करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इससे भ्रष्टाचार में फँसे लोगों को और भी बढ़ावा मिलेगा।

3. संगठनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तर पर जो कार्य पद्धति अपनाये गये हैं उनका समय-समय पर अधिकारियों द्वारा विश्लेषण किया जाते रहना चाहिए। ऐसा करते समय अक्सर यह स्पष्ट होगा कि भ्रष्टाचार का बीजारोपण कार्य पद्धति में किसी कमी के रह जाने से पनपता है। इस प्रकार समय-समय पर कार्य पद्धति की समीक्षा करते रहने से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

4. वातावरण से ही व्यक्तित्व का सृजन होता है। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वातावरण का अध्ययन करें और देखें कि यह अनुशासन, शालीनता, ईमानदारी, स्वस्थता और काम करने में वफादारी के अनुरूप है या नहीं। यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

5. प्रशिक्षण का महत्व तथा काम करने के लिए बचनबद्धता।

(i) जिन लोगों की नई-नई नियुक्ति हुई है उनके लिए प्रेरणात्मक (Induction) प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके चरित्र का सही ढंग से प्रारम्भ से ही निर्माण हो सके और वह आसानी से भ्रष्टाचार का शिकार न हो सकें। ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों की नई-नई नियुक्ति होती है, पहले वह मासूम बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन वे आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप उस वातावरण में ढलते जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार अपने आकर्षण से उन्हें अपने आगोश में खींचता जाता है।

(ii) जिस काम पर कर्मचारीगण लगे हुए हैं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे उनके मन में कर्तव्यनिष्ठा पैदा होगी, काम में दिलचस्पी आयेगी और आसानी से उनके मन में गलत काम करने की प्रेरणा नहीं होगी।

(iii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Courses) जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कार्य से सम्बन्धित भूली हुई बातें फिर से उनके मन में ताजा हो

जाए। इस तरह की व्यवस्था से अधिकतर लोगों के मन में कर्तव्यनिष्ठा बढ़ेगी और गलत काम से स्वतः संकोच होगा।

6. पुरस्कार और दण्ड :

संगठनों में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि अच्छे कामों के लिए पुरस्कार और गलत कामों के लिए दण्डित किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से कर्मचारियों का मनोबल उपर उठेगा और वह गलत काम करने में संकोच करेगा और इस प्रकार भ्रष्टाचार को काफी हद तक क्षति पहुँचेगी। यदि मनोबल का अभाव होगा तो उनके मन में रोष, क्रोध, हतोत्साह और काम के प्रति उदासीनता आयेगी और इस प्रकार भ्रष्टाचार के लिए उर्वरा भूमि तैयार होगी।

7. संगठनों की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की आवश्यकताओं में तालमेल होनी चाहिए ताकि काम करने का जो वातावरण है उसमें संतुलन बना रहे। इससे काम करने वाले संतुष्ट रहेंगे और संगठन के प्रति उनमें वफादारी पैदा होगी और वह उस संगठन की मर्यादा को हमेशा बनाये रखना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार को रोकने में काफी सहायक सिद्ध होगी।

8. भ्रष्टाचार के वास्तविक मामलों का प्रशासन के द्वारा संचालन :

(i) काम करने के समय ही जांच और प्रति जांच की विभिन्न स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार को पनपने का कम से कम अवसर प्राप्त हो सके।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा के द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि किसी मामले के निष्पादन में व्यर्थ विलम्ब या बिना वास्तविक कारण के लौटा कर तंग तो नहीं किया गया। यदि इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो यह भी देखा जाना चाहिए कि ऐसा करने के पीछे कोई गलत इरादा तो नहीं था।

(iii) सांविधिक लेखा परीक्षा (Statutory Audit)—यदि प्रशासनिक अधिकारी लेखा परीक्षकों को अपना दुश्मन न समझ कर अपना मित्र समझें और यह सोचें कि इस प्रकार की व्यवस्था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनकी सहायता के लिए है तो भ्रष्टाचार को रोकने के सिलसिले में उनका काम बहुत सहज हो जाएगा।

(iv) प्रशासन से सम्बन्धित लोगों को इस बात पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि ठीक समय पर ठीक कदम उठाया गया था या नहीं। यदि वह इस दिशा में हमेशा चौकसी बरतेंगे तो भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

(v) भ्रष्टाचार के हर मामले की समीक्षा, इसकी कार्य-प्रणाली और इस बात की जांच कि नियंत्रण की पद्धति में किस गड़बड़ी के कारण भ्रष्टाचार का मामला उत्पन्न हुआ, इस पर गहराई से गौर किया जाना चाहिए। यदि कहीं नियंत्रण पद्धति में कोई कमी थी जिसके कारण भ्रष्टाचार का अवसर मिला तो उस कमी को ठीक करने के साथ इस बात पर भी निगाह रखी जानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी दोहराई नहीं जाये।

9. भ्रष्टाचार की ओर से ध्यान हटाने के लिए पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रमों (Extra curricular activities) का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इसको बढ़ावा दें।

10. स्टाफ काउन्सिल का संगठन हर कार्यालय में किया जाना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार बहुत दिनों से प्रयास में लगी हुई है लेकिन स्टाफ की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही। इस तरह की व्यवस्था में प्रशासन और स्टाफ दोनों के ही सदस्य होते हैं और समय-समय पर यह लोग कार्यालय के विभिन्न समस्याओं पर वार्तालाप करते हैं और एक जुट होकर उसके समाधान के लिए रास्ता ढूँढते हैं।

11. प्रशासन के द्वारा समय-समय पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के अच्छे आचरण का उदाहरण दूसरों के सामने आ सके। लोगों के नैतिक मनोबल को इस प्रकार की व्यवस्था से उपर उठाया जा सकता है और भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सकता है।

12. प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार के अन्तर्निहित कारणों की समय-समय पर समीक्षा निरीक्षण के द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार का निरीक्षण इस लक्ष्य को सामने रखते हुए करना चाहिए कि जो काम हो रहा है वह किस कोटि का है, जो नियम और प्रक्रिया चालू है वह ठोस है या नहीं और उसका पालन सही तौर पर हो रहा है या नहीं। यदि कहीं किसी प्रकार की कमी नजर आये तो उसमें सुधार के लिए प्रयास किया जाये।

13. प्रशासन को यह भी चाहिए कि वह ऐसे फोकल प्वाइंट्स की पहचान करें जहाँ पैसा के आदान प्रदान की सम्भावना है और वहाँ पर कार्यरत व्यक्तियों को बहुत अधिक दिनों तक एक ही स्थान पर नहीं रहने दें इस प्रकार की व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बहुत अधिक धक्का पहुँचेगा।

14. भ्रष्टाचार के कार्य को कम से कम करने के उद्देश्य से प्रशासनिक कार्यविधियों की समीक्षा करते समय यह अक्सर देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अदालती मामलों और अनुशासनिक कार्यवाहियों के अध्ययन से नियमों और कार्यविधियों के ऐसे कमजोर स्थान जिसके कारण भ्रष्टाचार किया जा रहा है सामने आते हैं जिसे यदि समाप्त कर दिया जाय तो भ्रष्टाचार का कार्यक्षेत्र बहुत संकुचित हो जाएगा।

यदि प्रशासन से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी ऐसी संचिकाओं को हमेशा के लिए बंद करके रख देने बजाय समय-समय पर इसका अध्ययन किया करें तो उनके लिए ये भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत ही उपयोगी और सहायक सिद्ध होगी।

इस प्रकार यह सोचकर कि हम इस दैत्य रूपी भ्रष्टाचार को जड़ से नहीं उखाड़ फेंक सकते हैं, हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि हम उपर्युक्त प्रशासनिक निवारक निगरानियाँ रखेंगे तो इस कार्यक्षेत्र को इस हद तक कम किया जा सकता है कि इसके अस्तित्व से देश और समाज को कोई बहुत बड़े खत का सामना नहीं करना पड़ेगा।



ऋतु

● अशोक कुमार 'केशरी'
लेखाकार

भारत वर्ष दुनिया का न्यारा देश,
तरह-तरह के ऋतुओं का समावेश,
वर्षा ऋतु जब है, आती।
रिमझिम-रिमझिम जल बरसाती”

खेत और नदियाँ जल से भर जाती।
फसलें खेतों में लहलहातीं।
भारत वर्ष दुनिया का न्यारा देश।
तरह-तरह के ऋतुओं का समावेश”

जाड़ा ऋतु जब है आती,
अपने साथ 'ढक लाती”
आग सबसे प्यारी लगती
धूप क्रीड़ा का केन्द्र बन जाती।

भारत वर्ष दुनिया का न्यारा देश
तरह-तरह के ऋतुओं का समावेश।

जाड़ा ऋतु जब जाती, वसंत ऋतु आती
पेड़-पौधे नये-नये पत्तों से सज जाती।
धरती दुल्हन-सी लगने लगती
युवतियाँ मद-मस्त हो झुमने लगतीं।

भारत वर्ष दुनिया का न्यारा देश
तरह-तरह के ऋतुओं का समावेश

ग्रीष्म का मौसम जब है आता
किसान-मजदूरों के चेहरे पर पसीना मोती-सा चमचमाता।
आम और खरबूजा की गंध आती
बच्चों को 'डी लस्सी बहुत ही भाती।

भारतवर्ष दुनिया का न्यारा देश
तरह-तरह के ऋतुओं का समावेश।



बेचारा प्रतिबन्धित-लेखक

लेखक—श्री पीयूष ओझा
लेखाकार

सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी की रचना “बेचारा भला आदमी” जब भरोसेलाल ने पढ़ी थी उस वक्त तक उसने यह सोचा भी नहीं था कि “बेचारे भले आदमी” से भी कोई “बेचारा निरीह प्राणी” हो सकता है क्योंकि उस वक्त तक भरोसेलाल नौकरी में नहीं आया था।

पिछले कुछ वर्षों से एक लेखक के दिमाग में पाये जाने वाले कुछ हानिप्रद कीटाणु भरोसेलाल के दिलो-दिमाग में भी बुलबुलाने लगे थे। गोया जैसे ही पता चला कि उसके कार्यालय से एक “पत्रिका” निकलने वाली है, भरोसे लाल भी उस “क्यू” (कतार पंक्ति) में खड़ा हो गया, जिसमें उससे भी ज्यादा पुराने क्रोनिक पेशन्ट (लेखन के) पहले से खड़े थे।

सम्पादक महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, “आप सभी कृपया ऐसी रचनाएँ ही लिखें जिसमें सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं हो। हो सके तो प्रशंसा अवश्य करें। ‘अंधा क्या चाहे! दो आँखें। पुराने सभी क्रोनिक पेशन्टों (लेखन के) ने कहा—‘जी सर, इस देश में गलत हो ही क्या रहा है? जो हम कुछ विरोध में लिखेंगे। हम तो लिखेंगे पेड़ों पर, पत्तों पर, डालियों पर, या फूलों पर, भँवरों पर, बागों पर या कुछ झरनों और वादियों पर। लेकिन, प्लीज सर, हमारी रचना जरूर छपनी चाहिए।”

सम्पादक जी ने खुश होकर कहा, “अवश्य-अवश्य हमें भी तो कुछ न कुछ कोरे कागजों पर छापना ही है।” आखरी मरीज के रूप में भरोसे लाल जब सम्पादक जी से मिला तो अक्सर जैसा अंतिम मरीज के साथ होता है, वही हुआ। सम्पादक जी ने थके हुए डाक्टर जैसे बुझे-बुझे स्वर में पूछा, “कहो भरोसे लाल? तुम्हें क्या कष्ट हो गया है? तुम किस विषय पर अपनी रचना दे रहे हो?”

भरोसे लाल को शायद अपनी लेखन शक्ति पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसने कहा, “सर मैं तो कुछ झण्टावार, हिंसा, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद या अलगाववाद पर लिखूँगा।” सम्पादक जी कुछ नाराज से होकर बोले, “ठीक है-ठीक है लेकिन ख्याल रहे किसी नीति पर सीधा आक्षेप नहीं होना चाहिए।”

दूसरे दिन भरोसे लाल ने जो रचना सम्पादक जी को दी उसका सार कुछ इस प्रकार था।

कुछ ज्ञानवर्द्धक प्रश्न—

क्या आप जानते हैं कि :—

1. हमारे देश में “रिश्तत” देने एवं लेने की अधिकतम सीमा क्या है?
2. अधिकतम “रिश्तत” लेने एवं देने का पिछला रेकॉर्ड किन सज्जनों के नाम है?

3. किन सज्जनों ने उक्त रेकर्ड को गत वर्ष ही तोड़ा है ?
4. उक्त रेकर्ड को तोड़ने वाले सज्जनों को कौन से "रत्न" की उपाधि दी जायेगी ?
5. बाजार में नैतिक मूल्यों के अतिरिक्त कौन-कौन सी वस्तुओं के मूल्यों में भारी गिरावट आयी है ?
6. देश में आयी प्राकृतिक मृत्यु दर में कमी का कारण बतावें ?

- (अ) धार्मिक दंगों में हुई वृद्धि
- (ब) राजनैतिक हत्याकांड में हुई वृद्धि
- (स) सामूहिक नरसंहार में हुई वृद्धि
- (द) विमान दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि
- (ई) उपर्युक्त सभी

7. किस समुदाय का महासम्मेलन वर्ष में चार अवसरों पर किया जाता है ?
8. वे कौन से इस्पात पुरुष नेता हैं जो राज्य में आये संकटों के बावजूद मुस्कुराते रह सकते हैं ?
9. किस नदी का पानी सबसे शुद्ध है "कावेरी का" या नर्मदा का" ?
10. वर्ष 1994 में सम्भावित पाँच नये राज्यों के नाम बतायें ?
11. इन दिनों जान सस्ती है या सब्जी ?
12. कम दहेज के कारण वधुओं को जलाने में किस राज्य का प्रथम स्थान है ?
13. किरायेदार को मकान मालिकों के साथ जो प्रतिज्ञायें करनी होती हैं उनमें प्रमुख तीन का चयन करें :—

- (क) किराया अग्रिम देना है ।
- (ख) किराया देने के बाद रसीद नहीं माँगना है ।
- (ग) चूनाकारी के लिए कभी नहीं कहना है ।
- (घ) मकान मालिक के नौकर को भी सम्मान देना है ।
- (ङ.) किराया हर साल बढ़ता जायगा ।
- (च) मकान मालिक के एक इशारे पर मकान खाली कर देना है ।
- (छ) बच्चों की संख्या दो से ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे ।

14. किस राज्य में पश्चिमी सभ्यता के फैशन सबसे अधिक अपनाए गए हैं ?
15. आतंकवाद से सबसे अधिक आतंकित कौन-सा राज्य है ?

उपर्युक्त प्रश्नों के सही जबाब कृपया दस दिनों के अन्दर सम्पादक साहब के नाम से एक पोस्टकार्ड पर लेखकर इनामी योजना के हिस्सेदार बनें । कृपया जल्दी करें, इनाम की राशि का किसी भी समय सदुपयोग हो सकता है ।



सद्बुद्धि जागरण एवं विविध आधार

● संजय कुमार

लिपिक

प्रजा पुराण में एक कथा आती है कि महर्षि वाल्मीकि के नाना निषादराज जब बहुत वृद्ध हो गये तो उन्हें मृत्यु से डर लगने लगा। संयोग से एक बार निषादराज की मुलाकात, नारद मुनि से होती है और निषादराज ने अपनी समस्या को ज्यों का त्यों नारद भगवान के सामने रख दिया। नारद जी ने उत्तर में कहा कि आपके नाती महर्षि वाल्मीकि का तो यमराज से बहुत अच्छी बनती है, आप उन्हीं से कहें तो यह कार्य बहुत सरल हो जाएगा, वैसे मैं भी आपलोगों के साथ रहूँगा। तय की गई योजना के अनुसार निषादराज, महर्षि वाल्मीकि एवं भगवान नारद को लेकर यमराज के पास पहुँचे और महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ये हमारे नाना जी हैं और मृत्यु से डरते हैं, कृपया आप इनकी समस्या का समाधान कर दें। सुनकर यमराज कहने लगे कि वर्तमान समय में मैंने यह कार्य देखने की जिम्मेवारी काल को दे रखी है। अब यहाँ से चारों ही काल के पास पहुँचते हैं और काल द्वारा यह कहने पर कि इस प्रकार की फाइल की देखरेख विधि के जिम्मे है, निषादराज, महर्षि वाल्मीकि, भगवान नारद, यमराज एवं काल, पाँचों ही विधि के पास पहुँचे और वाल्मीकि ने निषादराज की समस्या विधि को सुनाई, विधि ने कहा कि ठीक है निषादराज की फाइल, कार्ड भोल्यूम इत्यादि आवश्यक कागजात देखकर बतलाता हूँ और, सभी कागजात खोलकर वे सुनाने लगे। कागज में लिखा था कि निषादराज की मृत्यु तभी होगी जब वे स्वयं महर्षि वाल्मीकि, नारद, यमराज एवं काल के साथ विधि के समक्ष उपस्थित हों। यह सुनते ही निषादराज धड़ाम से गिरे और उनकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु का कारण हृदय गति का रुक जाना बताया गया।

मित्रो ! यह निषादराज कौन था जिसने अपनी मृत्यु को स्वयं आमन्त्रित किया और उसके ये सगे सम्बन्धी कौन हैं ? यह निषादराज हमारी और आपकी दुर्बुद्धि है जिसने उन सारी समस्याओं को आमन्त्रित किया है जो किसी समय हम सभी को अपने गाल में समेट लेने को तत्पर है और निषादराज के ये सगे-सम्बन्धी हमारे-आपके सगे सम्बन्धी हैं, जो सभी अनुचित कार्यों में हमें प्रोत्साहित करते हैं।

इस दुर्बुद्धि निवारण एवं सद्बुद्धि जागरण के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने आधार स्तम्भ के रूप में तीन बातों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, वे हैं—1. उपासना, 2. साधना एवं 3. आराधना।

1. उपासना कहते हैं, उप+आसन अर्थात् नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना ?—ईश्वर के नजदीक बैठना, सत्प्रवृत्तियों, आदर्शों के समुच्चय के समीप आसन लगाना और अपनी स्थिति-परिस्थिति के अनुसार कुछ समय एक ऐसी छवि का ध्यान करना जो विकार-रहित हो और उससे अच्छा बनने, अच्छा करने की प्रेरणा ग्रहण करना।

2. साधना कहते हैं, अपने आपको साध लेना । बिल्कुल उस प्रकार साध लेना जैसे अनगढ़ जानवरों को साधकर विभिन्न प्रकार की करतब करा लेना संभव होता है । यदि मनुष्य अपने आपको साध ले तो समय संयम, अर्थ संयम, इन्द्रिय संयम इत्यादि के माध्यम से वह अपने सामर्थ्यों में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकता है ।
3. आराधना अर्थात् सेवा करना, समाज की । उपासना एवं साधना द्वारा उपार्जित शक्ति का नियोजन समाज, राष्ट्र के उत्थान में ।

आज के मनुष्य (अधिकांश) को साधना आराधना से कुछ लेना-देना नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो उपासना के नाम पर कुछ उल्टा-पुलटा करते अवश्य देखे जाते हैं। आज के समय में सभी को शान्ति की तलाश है लेकिन ढूँढते हैं उसी निषादराज की तरह जिससे वे और अधिक खिन्न उद्विग्न देखे जाते हैं। आखिर संकीर्णतापूर्ण स्वार्थपरता रूपी भव-बन्धनों का त्याग ही तो शान्ति है, लेकिन इस तथ्य को कौन, कितना समझ पाता है ?

आइये, हम सब भी उपासना, साधना, आराधना के तथ्य को समझने का प्रयत्न करें और प्रखर, प्रतिभा-शाली व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में अग्रसर हों तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी भारत माँ को परम वैभव की चोटि पर पहुँचाने में सफल हो जायें।

ॐ शान्तिः ! ॐ शान्तिः !! ॐ शान्तिः !!!



यदि हिन्दी की उन्नति नहीं होती है तो यह देश का दुर्भाग्य है ।

—बंकिमचन्द्र चटर्जी

हिन्दी भारत के लिए प्रकृति का वरदान है।

—पं गिरिधर शर्मा

चन्द मुक्तक

गिरिजा नन्दन

से० नि० अनु० अधिकारी

किनसे हम पुछें राह यहाँ चौराहे पर ?
जो हमें मिले वे असमंजस में खड़े मिले;
हम कहाँ बुझावें जलन कण्ठ की यह अपनी ?
जो हमें मिले वे सभी रिक्त ही घड़े मिले ।

पास सिन्धु के जल अशेष ! लेकिन इससे क्या ?
जब वह पीने के योग्य न, है बिल्कुल खारा,
किस दुःख का जाने ज्वार उबलता है उसमें
खुद किस अभाव का मारा जाने बेचारा !

पतली सरिते, तू कहाँ उमड़ती दौड़ चली
इठलाती, इतराती यूँ करती कल-कल ?
सागर से मिलने ? तो क्या वह रहने देगा
यह नाम, रूप, गुण, तेरा चुलबुल कोलाहल ?

हमको असीम जनबल में है विश्वास अटल
मानव की गरिमा, समता के हम कायल हैं,
पर सार्वजनिक बादों से मन खट्टा-खट्टा
हम हुड़दंगी से, भीड़वाद से घायल हैं ।

मानव की गरिमा कहो, वहाँ क्या सध पाती
विधिमान्य सभ्यता के आचरण मिटाने में ?
जो हैं कतार में खड़े उन्हें पीछे धकेल
धक्के देकर आगे बढ़ टिकट कटाने में ?

इस परिवर्तनमय दुनिया की हर चीज वहम,
दशा किसी की यहाँ न रहने वाली सम ।

पर श्रद्धा और विश्वासों की निज बुनिया रक्ष
चढ़ समय पंख पर प्रतिक्षण उड़ते जाते हम ।

ये वृद्ध पुरुष कह रहे—युवक जा रहे किधर ।
ये नौजवान कह रहे—हवा वह रही जिधर ।
बीते युग की चिरगाथा अपनी बन्द करो
तुम हमें ने दिखलाओ पथ बरबस नाक पकड़ ।

जो ढोल मुनादी पीट रहा, उसको तोला—
हल्का पाया; जब मढ़ी हवा भीतर खोला,
तब भेद खुल गया सिर्फ जाहरी ढब-ढब था
वर्ना उसके अन्दर था पोला ही पोला !

जो सपना था वह रहा आज तक सपना ही,
बन गया विराना व्यक्ति कभी जो अपना ही;
वे उधो भी माधव के घर जा बदल गए
गोकुल के हिस्से रहा विरह में तपना ही ।

दुःख भँवर-जाल में व्यक्ति पड़ा जो विकल वहाँ,
पीड़ा से पाना त्राण, निकलना चाह रहा;
हम सहानुभूति उसको कुछ भी दिखला न सके
हमसे भी बढ़कर है जग में कंजूस कहाँ ?



गायत्री मंत्र

● श्री इन्द्रदेव सिंह

वरिष्ठ लेखाकार, प्रशासन-III

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । यह मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 36 का तीसरा मंत्र है । इस मंत्र का हिन्दी अनुवाद निम्नलिखित रूपों में दिया जाता है ।

इस मंत्र में जो प्रथम “ओऽम्” शब्द है यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है । इसका संधिविच्छेद करने पर अ उ और म् तीन अक्षर होते हैं । इन तीनों अक्षरों से मिलकर एक ओऽम् समुदाय हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं । उदाहरण स्वरूप अकार से विराट्, अग्नि और विश्वादि से परमात्मा के नाम का बोध होता है ।

उकार से हिरण्य गर्भ, वायु और तेजसादि का बोध होता है । मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राजादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उसका वेदादि शास्त्रों में ऐसा ही स्पष्ट व्याख्यान किया गया है कि प्रकरणा-नुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं ।

अब “भूः” का अर्थ संस्कृत में इस प्रकार वर्णित है—भूरिति वे प्राणः यः प्राणयति चराचरम् जगत् स भूः स्वयम्भूरीश्वरः अर्थात् जो सम्पूर्ण जगत् के जीवन का प्राण आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वंभू है उस प्राण का वाचक होने के कारण भूः परमेश्वर का नाम है ।

“भुवः” का अर्थ है “भूवरित्यपान” यः सर्व दुःखमपानयति सोऽपानः” अर्थात् जो सब दुःखों से रहित, जिसके अंग से जीव सभी प्रकार के दुःखों से मुक्ति पा लेते हैं इसलिए उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है ।

स्वः का अर्थ है “स्वरिति व्यानः” । “यो विविध जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” अर्थात् जो नानाविधि जगत् में व्यापक होकर सभी को धारण करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है । भूर्भुवः स्वः ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक (प्रपा० 7/अनुच्छेद 5) के हैं ।

“सावितुः” का अर्थ है “यह सुनोत्युत्पादयति सर्व जगत् स सविता तस्य” अर्थात् जो सम्पूर्ण जगत् का उत्पादक एवं सभी ऐश्वर्य का दाता है, इसलिए प्रभु का नाम सविता है ।

“देवस्य” का अर्थ है “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः”

अर्थात् जो सर्व सुखों को देनेवाला जिसकी प्राप्ति की कामना सभी करते हैं उस परमात्मा का नाम देव है ।

“वरेण्यम्” का तात्पर्य “वर्तुमर्हम्” है अर्थात् जो स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ है ।

“भर्ग” का अर्थ है “शुद्धस्वरूपम्” अर्थात् वह शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्मास्वरूप है। “तत्” अर्थात् उसी परमात्मा स्वरूप को हमलोग “धीमहि” “धरमेहि” धारण करें। किस प्रयोजन के लिए कि “यः” अर्थात् जगदीश्वरः जो सविता देव, परमात्मा “नः” अस्माकम् अर्थात् हमलोगों की “धियः” (बुद्धी) बुद्धियों को “प्रचोदयात्” अर्थात् (प्रेरयेत्) बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करें।

संक्षेप में गायत्री मंत्र का सही अर्थ है—हे मनुष्यो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपासागर, ठीक-ठीक न्याय करनेवाला, जन्ममरणादि बलेशरहित, आकार रहित, सबके घर-घर का जाननेवाला, सबका धर्ता पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करने वाला, सकल ऐश्वर्ययुक्त, जगत का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारी आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामीस्वरूप हमें दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटकर श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावें। उसको छोड़कर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें क्योंकि न कोई उसके तुल्य है और न अधिक। वही हमारा पिता, राजा न्यायाधीश और सब सुखों को देनेवाला है।

इसलिए हमें गायत्री मंत्र से संध्योपासना करनी चाहिए।



कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता।
भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी जरूरी है।
—थामस डेविड

कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतन्त्र नहीं है, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता।
—महात्मा गांधी

“भविष्य भारत का”

● श्री बयानन्द प्रसाद, लेखक

भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन कार्य होता है। पर एक बात यह तो अवश्य ही है कि जो वर्तमान है वह भूतकाल का प्रतिफल है और भूतकाल वर्तमान का परिवर्तित रूप है। इस प्रकार समय का चक्र भविष्य, वर्तमान, भूत के रूप में चक्कर काटते रहता है। हम वर्तमान में जो कुछ करते हैं वही भूतकाल में बदल जाता है और आज हमारा जो अस्तित्व है, वह भूत में किए गए कारनामों का नतीजा है। समय का विभाजन वैसे मोटे तौर पर भविष्य, वर्तमान, एवं भूत में किया गया है, पर वर्तमान को परिभाषित करना एवं पहचानना बहुत ही कठिन होता है। समय का जो क्षण अभी हमारे सामने आया नहीं वह भविष्य होता है। भविष्य का कोई क्षण हमारे सामने आते ही सरक कर तुरन्त भूत की ओर चला जाता है। समय का लमहा हमारे सामने वर्तमान के रूप में आया और हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इसी पर निर्भर करता है अंततोगत्वा, हमारा भविष्य। अगर वर्तमान का स्वगत करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में उसका उपयोग किया गया हो तो आनेवाले समय में उद्देश्य की प्राप्ति स्पष्ट रूप में नजदीक में ही नजर आएगा। और अगर वर्तमान को यूँ ही भूत बनने को छोड़ दिया तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित होगा।

अब हम इस बात पर विचार करें कि भारत का भविष्य उज्ज्वल कैसे हो ? समय, स्थान और परिवेश बदलने पर सभी चीजों की परिभाषाएँ मान्यताएँ और धारणाएँ बदल जाती हैं। बदलते हुए समय एवं स्थिति के अनुसार अगर परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया तो भारी संकट उत्पन्न हो जाता है। बुद्ध के जमाने में घरों में ताले नहीं लगते थे तो उसका कारण सिर्फ लोगों का नैतिक स्तर का ऊँचा होना नहीं माना जा सकता, बल्कि सभी चीजों की बाहुल्यता थी। नैतिकता के स्तर में गिरावट के मूल में जाने पर मिलेगा “कमी”। हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है पर गौर से देखा जाय तो जनसंख्या में वृद्धि तो होती जा रही है पर पुराने जमाने की अपेक्षा गति कम ही है। हुआ यह है कि चिकित्सा विज्ञान की सुविधाओं के सहारे मृत्यु दर पर बहुत कुछ नियंत्रण कर लिया गया है, जिसके कारण जनसंख्या में दिनोंदिन वृद्धि ही वृद्धि नजर आती है। सँ कुल मिलाकर बढ़ती हुई आबादी का भरण पोषण करना एक दुष्कर कार्य होते जा रहा है।

किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे वहाँ की जनसंख्या, खनिज सम्पदा, व्यवसाय, देश की आंतरिक शान्ति, शासन पद्धति, देश भक्ति, आर्थिक नीति आदि। ये सभी के सभी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी आर्थिक विकास से एवं एक दूसरे कारक से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर देश की आंतरिक शांति व्यवसाय को प्रभावित करती है, शासन पद्धति अंततः लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। शासन पद्धति के अनुसार ही सरकार का रूप निर्धारित होता है। और सरकार ही औद्योगिक, वैदेशिक एवं अन्य नीतियों का निर्धारण करती है।

हमारे देश में खनिज सम्पदा, वन सम्पदा एवं जनशक्ति आदि की कमी नहीं है पर पूर्ण रूप में उसका दोहन नहीं होने के कारण आर्थिक विकास की गति जनसंख्या की मौजूदा स्थिति की तुलना में धीमी पड़ती जा रही है। अगर यही हालत रही तो यहाँ के लोग भूखे मरेंगे, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए आवास नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में अर्थशास्त्रियों की सोच-समझ ही नहीं है बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। यहाँ प्रजातंत्र के नाम पर भीड़तंत्र कायम हो गया है। प्रजातंत्र में बहुमत का बोलबाला होता है। देश को आजादी मिलने के बाद हम सच्चे मायने में आजाद नहीं हो पाए।

आजादी प्राप्ति के बाद एक सरल शासन प्रणाली की आवश्यकता थी ताकि लोग सुगमता से अनुशासित हो सकें, शिक्षित हो सकें, लोगों में देश के प्रति बफादारी की भावना पैदा हो सके। साथ ही एक शासक वर्ग को कुशल, विद्वान एवं ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है।

देश के आर्थिक विकास के लिए आज आवश्यकता है दुनियाँ के अन्य देशों को पूँजी निवेश एवं उन्नत तकनीकी का प्रयोग के लिए आमंत्रित करने की। तकनीकी रूप से विकसित एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न देश भारत आकर अपना पूँजी निवेश एवं तकनीकी का प्रयोग करने के लिए तैयार है। अगर बाहरी पूँजी एवं तकनीकी के प्रयोग से हमारे देश में उत्पादन बढ़ता है तथा उसका समान वितरण किया जाय तो यहाँ के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो जाएगा। जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार हमारे देशवासियों को शरीर की आवश्यकताएँ, भोजन, वस्त्र, आवास पूरी हो सकेगी। आज जितने रूपए में एम्बैसडर कार एवं फ्रियट कार भारत में उपलब्ध होती है उतने में तो इन सभी कारों से कई गुणा अच्छी कार जैसे—फोर्ट, बेंज, चवरलेट राल्सराय कारें मिलने लगेंगी। उदाहरण के तौर पर कुछ ही वर्ष पहले हमारे देश में स्कूटर की खरीदारी करना भी एक गौरव एवं शान की बात समझी जाती थी। पर अब वैसी बात नहीं है। स्कूटर की खरीदारी अब शान एवं औकात का सूचक नहीं रह गई है बल्कि सुविधा का एक साधन बन गई है। और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि विदेशी कम्पनियों को भारत आकर स्कूटर एवं अन्य मोटर साइकिलें बनाने का अवसर दिया गया। लगता है कि यहाँ के पूँजीपति अपना उद्योग को नष्ट हो जाने के भय से शासक वर्ग को अपने पूँजी से प्रभावित कर बाहरी देशों के उद्योगपतियों एवं पूँजीपतियों को आने से रोक सकने में सक्षम हो जाते हैं। विदेशी कम्पनियों के उत्पादन की गुणवत्ता की तुलना में यहाँ के उद्योगपतियों का उत्पादन घटिया किस्म का साबित होगा और उसकी माँग बाजार में कम हो जाएगी, फलतः इन पूँजीपतियों की आय मारी जाएगी। पर देशवासियों को उपभोग के लिए उन्नत किस्म के सभी सामानों की आपूर्ति होने लगेगी। यहाँ के पूँजीपतियों के बोलत के प्रभाव से प्रभावित होकर शासक वर्ग इस बात का खौफ पैदा करते हैं कि विदेशी कम्पनियों के आने से देश फिर से गुलाम हो जाएगा। पर इस प्रकार का खौफ पैदा करना निराधार है। उत्पादन तो कुछ शक्तों पर ही प्रारम्भ होगा और फिर हमारे देश का सैनिक बल बहुत ही सशक्त है, इतनी आसानी से देश को गुलाम नहीं होने देगा जितना आसान राजनीतिज्ञ बताते-फिरते हैं। राजनीतिज्ञ तो यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन हो जाएगा, बाहरी उद्योगपतियों के बुलाने से। तो यह आरोप भी उसी प्रकार का लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति नंगा बदन नहाए और चिंता करे कि नहाऊँगा तो कपड़ा कहाँ सुखाऊँगा? और इस भय से वह नहाता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश में लोगों को भोजन, वस्त्र एवं आवास की मौलिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो रही है और सम्पदा का दोहन न हो जाए इस भय से बाहरी पूँजी एवं तकनीकी का इस्तेमाल न करना कपड़ा सुखाने की समस्या को लेकर नंगा वदन भी स्नान न करने के समान है।

आज हमारे देश में धर्म के नाम पर बहुत उथल-पुथल हो रही है। एक-दूसरे को सम्प्रदायी करार दे रहे हैं। अपने को निर्दोष एवं दूसरे को दोषी बनाया जा रहा है। धर्म अनेक होते हैं पर धर्म का मकसद एक होता है। भारत प्राचीन समय में अधिक धार्मिक था और उसका कारण था “सम्पन्नता”। आबादी कम थी एवं उपभोग की चीजें उसके अनुपात में अधिक। आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आबादी अधिक एवं जरूरत की चीजें कम। सुबह में लोग हवाखोरी करते हैं पर आबादी का बहुत छोटा भाग। अधिकांश लोग भूख की ज्वाला शान्त करने के चक्कर में रहते हैं। मंदिर में लोग जाते हैं, किसलिए? वे भगवान से मांगते हैं नौकरी, रोजगार की सफलता, पत्नी एवं अपने परिवारजनों की बीमारी से छुटकारा। गौर कीजिए कि लोग भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, न कि भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं। भगवान को वे पाना भी नहीं चाहते क्योंकि अभी भारतीय लोगों को तन की जरूरत की ही पूर्ति नहीं हुई है। जब शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब मन की आवश्यकता की पूर्ति की बात सामने आती है। अतः भारत में पहले आर्थिक सम्पन्नता, सुख-सुविधा बढ़ाने की जरूरत है तब ही असली मायने में लोग धर्म को सही मायने में समझ सकेंगे। (कालिदास के “मेघदूत” की कोई कीमत नहीं है एक भिखारी के लिए। उसके लिए रोटी का एक टुकड़ा अधिक महत्वपूर्ण है, मेघदूत के वाक्यांशों से।)

आर्थिक सम्पन्नता लाने की दिशा में पहले खुले दिमाग से वैदेशिक एवं आर्थिक नीति निर्धारित कर उसे लागू करना होगा। देश जैसे-झैसे सम्पन्न होता जाएगा लोग भी सच्चे मायने में धर्म को समझते हुए अपने को बिराट शक्ति के समीप पाएँगे।

[illegible]

हिन्दी राष्ट्रियता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है ।

—राजर्षि टण्डन

उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात् हिन्दी।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए (वर्ष 1993-94 के वार्षिक कार्यक्रम से उद्धृत)

द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था

- (i) इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) खरीदे जाएँ।
[कार्यालय ज्ञापन सं० 12015/20/87-रा० भा० (तक०) दिनांक 15-6-1987]
- (ii) सभी प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियाँ (जिनमें कम्प्यूटर, वर्ड-प्रोसेसर, एडवॉन्स लेजर पोस्टिंग मशीन, डेटा एन्टरी उपकरण आदि शामिल हैं) केवल द्विभाषी रूप में खरीदे जाएँ। किसी कम्प्यूटर आदि को द्विभाषी तभी माना जाएगा जबकि—
 - (क) इसमें अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी डेटा एन्टरी की व्यवस्था हो।
 - (ख) कोई भी कर्मचारी इसको अंग्रेजी या हिन्दी जिस भाषा में प्रयोग करना चाहे, कर सके। यंत्र में ऐसा प्रबन्ध हो जिससे स्क्रीन पर उस कर्मचारी की इच्छानुसार अंग्रेजी या हिन्दी में लिखा जा सके।
 - (ग) कम्प्यूटर आदि से तैयार होने वाली सामग्री जैसे विवरण, पत्र लेख आदि, कम्प्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारी की इच्छानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में प्रिन्ट हो सके।

इन उपकरणों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और इस वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार जो काम हिन्दी में होना चाहिए वह अनिवार्य तौर पर केवल हिन्दी में और जो काम द्विभाषी होना चाहिए, वह द्विभाषी ही किया जाए।

ये निदेश उन कम्प्यूटरों पर भी लागू होते हैं जो विभिन्न संस्थाओं एवं निर्माताओं से लम्बी अवधि के लिए किराए पर लिए जाते हैं। कम्प्यूटर आदि विदेश से आयात करते समय भी ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि उन पर हिन्दी में भी काम किया जा सके।

[कार्यालय ज्ञापन सं० 12015/12/84-रा० भा० (तक०) दिनांक 31-8-1987]

5.10 प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था

केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों में नीचे लिखे अनुसार पढ़ाने की व्यवस्था की जाए :—

- (क) प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थियों की मांग के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

- (ख) यदि प्रशिक्षण के दौरान या अन्त में परीक्षा ली जाती है तो उसमें प्रश्नपत्र दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएँ और उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिखने की छूट दी जाए।
- (ग) यदि पाठ्यक्रम में केवल "क" तथा "ख" क्षेत्र से प्रशिक्षणार्थी आते हैं तो वहाँ सामान्यतया हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाए। परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी अंग्रेजी में प्रशिक्षण लेना चाहें तो उनके लिए अंग्रेजी में भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।
- (घ) जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में "ग" क्षेत्र से या सभी क्षेत्रों से प्रशिक्षणार्थी आते हैं, वहाँ अंग्रेजी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी हिन्दी में प्रशिक्षण लेना चाहें तो उनके लिए हिन्दी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।
- (च) यथासंभव ऐसे व्यक्तियों को भाषण के लिए बुलाया जाए जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हों ताकि प्रशिक्षणार्थी अपनी सुविधानुसार हिन्दी व अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकें।
- (छ) प्रशिक्षकों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न होने पर राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में लघुकालीन गहन पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाए।
- (ज) हिन्दी में अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए योग्य उपलब्ध न होने पर प्रशिक्षण अंग्रेजी व हिन्दी की मिली-जुली भाषा में दिया जा सकता है।

[का० ज्ञा० सं० 13034/50/87-रा० भा० (ग) दिनांक 11-11-1987]

5.11 अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों का हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना।

राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। वर्ष के दौरान नीचे लिखे अनुसार कार्रवाई की जाए :—

- (क) भारत में हस्ताक्षर की जानेवाली सभी संधियों, करारों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए और दोनों पाठों पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएँ।
- (ख) विदेश में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद तैयार कराकर अभिलेख के लिए फाइल में रखे जाएँ। यदि इन्हें पहले से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराना संभव हो तो दोनों पाठों पर हस्ताक्षर कराए जाएँ।

5.12 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

वर्ष के दौरान उन सभी कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाए जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है और जिन्हें कार्यशाला में कभी भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

[इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 28-1-1992 का संकल्प सं 12019/10/91-रा. भा. देखा जाए।]

5.13 हिन्दी दिवस / सप्ताह का आयोजन

सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि में वर्ष में एक बार "हिन्दी दिवस" अथवा "हिन्दी सप्ताह" मनाया जाए। हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को ही मनाया जाए क्योंकि इसी तारीख को सन् 1949 में संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिन्दी सप्ताह भी इसी दिन से प्रारम्भ किया जाए। यदि 14 सितम्बर अवकाश का दिन हो तो आयोजन उससे ठीक परवर्ती कार्य दिवस में किए जाएँ। इन आयोजनों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोजित किया जाए।

हिन्दी दिवस / हिन्दी सप्ताह के सिलसिले में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार कार्यालय, उपक्रम, निगम, बैंक आदि अपना विशेष कार्यक्रम भी रख सकते हैं :—

- (i) कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी अधिनियम, नियमों, अनुदेशों आदि से परिचित कराना।
- (ii) हिन्दी में टिप्पण / आलेखन / टंकण / आशुलिपि के अभ्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- (iii) हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा अपील जारी करना / निदेशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श करना।
- (iv) राजभाषा सम्बन्धी प्रचार सामग्री (जैसे शब्दावली, पत्र-पत्रिकाएँ, संदर्भ साहित्य) का प्रदर्शन और वितरण।
- (v) हिन्दी में हुए या हो रहे काम-काज के नमूनों (जैसे हिन्दी में चेक, टिप्पण, आलेखन आदि का प्रदर्शन)।
- (vi) द्विभाषी यांत्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टाइपराइटर, वर्ड-प्रोसेसर, कम्प्यूटर आदि के प्रयोग का प्रदर्शन।
- (vii) हिन्दी में आलेखन, टिप्पण, टंकण, आशुलिपि, भाषण, वाद-विवाद, निबन्ध, काव्यपाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- (viii) हिन्दी में सुरुचिपूर्ण अभिनय, नाटक गीत आदि के कार्यक्रम का आयोजन।
- (ix) राजभाषा हिन्दी में सम्बन्धित आवधिक रिपोर्टों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन।
- (x) हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार, प्रमाण पत्र आदि का वितरण।

[का०ज्ञा०सं० 1/14034/2/87-रा०भा० (क-1) दिनांक 21-4-1987 और का०ज्ञा०सं० 1/14034/2/87-रा०भा० (क-1) दिनांक 23-9-1987]

5.14 राजभाषा हिन्दी में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले वृत्तचित्र

राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं और स्वयंसेवी संस्थाओं और महापुरुषों द्वारा हिन्दी के विकास के लिए हुए कार्य पर प्रकाश डालने वाले वृत्त चित्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। इन वृत्त चित्रों में उपयोगी सूचनाओं के साथ-साथ अनेक भावात्मक दृश्य भी अंकित हैं। मधुर संगीत के साथ मनोहारी नृत्य के दृश्य भी इन फिल्मों को आकर्षक रूप प्रदान करते हैं।

निम्नलिखित वृत्त चित्रों के केसेट तथा प्रिंट तैयार करवाए गये हैं जो प्रभारी (वितरण) फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 24 डा० गोपालराव देशमुख मार्ग, बम्बई में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

1. उदयांजलि 2. एकता का पर्व 3. हिन्दी सब संसार 4. हिन्द की वाणी 5. देश की वाणी 6. भारत की वाणी 7. 14 सितम्बर, 1949 8. एकता की वाणी 9. पूर्वांजलि खंड-1 10. संविधान के साक्षी 11. अरुणांजलि 12. मेघांजलि 13. नागांजलि 14. मणिपुर गाथा 15. केरलांजलि 16. जय हिन्द।

इन फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर करें।

[का० ज्ञा० सं० 20034/10/85-अ० वि० दिनांक 21-12-1988, 21-9-1989, 20-2-1990 तथा का० ज्ञा० सं० 20034/15/91-रा० भा० (अ० वि०) दिनांक 30-11-1992]

5.15 हिन्दी में छपी विभिन्न विषयों की पुस्तकों की खरीद

सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान का कम से कम 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च करें। बाजार में विभिन्न विषयों पर उपयुक्त हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध होने पर यह रकम बढ़ाकर 50% तक की जा सकती है।

इस दृष्टिकोण से आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें खरीदना उपयोगी होगा :—

(1) हिन्दी में काम करने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें आदि।

(2) ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोकप्रिय समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि, जिनमें कर्मचारियों को हिन्दी में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा हो और वे सरल भाषा में बिना शिक्षक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर सकें।

(3) सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकाएँ, रसाले आदि जिन्हें पढ़कर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त रखने वाले कर्मचारियों का ज्ञान बना रहे और वे समय के साथ इसे भूल न जाएँ।

(4) मंत्रालय/विभागों एवं तकनीकी कार्यालयों में जहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिन्दी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिन्दी की शब्दावली/कार्यालय सहायिका/सन्दर्भ ग्रन्थ आदि को खरीदें।

(5) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।

[का० ज्ञा० सं० 20034/6/85-रा० भा० (पत्रिका) दिनांक 4-5-1988]

5.17 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन

Scanned with AnyScanner

* * * * *
 * * * * *

हमारी कोमी जवान हिन्दी ही हो सकती है।

—सरोजिनी नायडू

—सरोजिनी नायडू

राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का एक अंग मानता हूँ ।

राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का एक अंग मानता हूँ।

—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

हिन्दी अपने गुणों से देश की राष्ट्रभाषा है।

— लाल बहादुर शास्त्री

संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर

लिए जाने के बाद किसी को उसके विरुद्ध आवाज

रठाने का अधिकार नहीं है ।

—कृष्ण मेनन

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਰੇਂ।
ਮੇਰਾ ਦੁਆਰਾ—

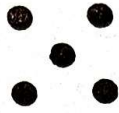
(ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ

“कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ।

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥”

अर्थात्

“सर्वथा समर्थ अर्थात् योग्य पुरुषों के लिए कोई भी कार्य अत्यन्त गुल्ल नहीं होता, व्यवसायी मनुष्यों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वानों के लिए कोई देश, विदेश नहीं होता और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई व्यक्ति पर (दूसरा) अथवा शत्रु नहीं होता ।”



“विपत्तिं धैर्यं तथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।

यशसि चाभिरुचिर्व्यसन श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥”

अर्थात्

“विपत्ति में धीरज, उन्नति में क्षमा-भाव, सभा में वाणी की चतुरता (वाक्पटुता), युद्ध में वीरता, यश प्राप्ति में विशेष रुचि, वेदाध्ययन में आसक्ति आदि गुण महात्माओं में स्वभाव से ही रहा करते हैं ।

“हिन्दी ऐसी स्वच्छ, सुस्पष्ट, सरल
जिसके सब नहीं है कोई भाषा भूतल पर”

—माधव शुक्ल

“हिन्दी सीले बिना भारतीयों के दिल तक
नहीं पहुँचा जा सकता।”

—डा० लोथर (जर्मनी)

“देवनागरी अक्षरों से बहका पूरा ही
उत्तम अक्षर दूसरे नहीं हैं।”

—प्रो० मोनियर विलियम्स

“हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में
पिरोया जा सकता है।”

—महर्षि दयानन्द सरस्वती

मुद्रक—बिहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ लि० प्रेस,
एकजीविशन रोड, पटना - 800001